

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2022—अग्रहायण 4, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-194-2022-5-एक.—श्री दिलीप कुमार कापसे, भाप्रसे (2014), मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-416-2019-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 36-01-2022-EO(SM-I)(3), दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं भारत सरकार में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पद पर नियुक्त हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-198-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रूपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

## तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2.	उक्त आदेश श्री बर्णवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा।		

क्र. ई-1-198-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

## तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जे. एन. कांसोटिया (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
2.	श्री अजीत केसरी (1990), महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	

क्र. ई-1-199-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थि किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश, भोपाल एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार)	-
2.	श्री सुरेश कुमार (2010), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर.	सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	-
3.	श्री अंशुल गुप्ता (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	-

क्र. ई-1-107-2022-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 18-12-2022-EO(SM-I), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुक्रम में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे (2007) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सङ्क विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की सेवाएं भारत सरकार में निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2022

क्र. एफ-5-03-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती नंदिता दुबे, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4529-(दो-1-15-16) दिनांक 19 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अरुण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से

प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4609-(दो-1-22-2021) दिनांक 21 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 9 से 11 नवम्बर 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 नवम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-5-13-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल वर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4723-(दो-2-34-2014) दिनांक 27 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 29 मई से 10 जून 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है।

क्र. एफ-5-09-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्डौर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी-4533-(दो-1-10-2022), दिनांक 20 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 26 जुलाई 2022 तक, आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022

क्र. 1505-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2022 तक (कुल दो दिवस) का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 935634-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार,

पु. मु. भोपाल को दिनांक 9 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 08 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र सिंह, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022

क्र. 925254-2022-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिरेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP) में (Mentor) के रूप में सम्मिलित होने हेतु नामांकित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2022 तक London (U.K.) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री अनिल कुमार, भापुसे को दिनांक 14 से 18 नवम्बर 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित U.K. एवं तुक्रा की विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

5. उक्त यात्रा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्र. 19036/2-2016/ई. iv, दिनांक 26 अक्टूबर 2016 की कंडिका-3 अनुसार होटल प्रभारों/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान जैसा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं होगा।

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आलोक रंजन, भापुसे, अमनि (प्रबंध), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. 924967-2022-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 9 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 08 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए) 137-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे-10, पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के अन्तर्गत छपरा (बिहार) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- |                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री मनोज कुमार सिंह | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती विनिता सिंह  | - | पत्नी |

(2) श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य प्रभार श्री सखाराम सेंगर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 155-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे-92, अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) में दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत शिमला (हिमाचल प्रदेश) जाने हेतु

परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| 1. श्री राजेश गुप्ता     | - | स्वयं |
| 2. श्रीमती मोनिका गुप्ता | - | पत्नी |

(2) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश अवधि में कार्य प्रभार श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अमनि. (महिला सुरक्षा शाखा), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अबर सचिव।

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

#### सूचना

क्र. यूडीएच-3-0066-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3007-टी सी-94-दमोह-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची						
क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लाट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	62,67,68	158/5	कुल रक्बा 2.874 (7.10 एकड़ि) में से 0.458941 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
योग . .				कुल रक्बा 2.874 (7.10 एकड़ि) में से 0.458941 हेक्टेयर		

#### नोट—

- प्रश्नाधोन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

**शर्ते—**

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
3. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. यूडीएच-3-0070-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2988-टी सी-95-दमोह-उपांनगानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :—

**अनुसूची**

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लाट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	48-57	197	कुल रकबा 0.445316 में से 0.414498 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग।	मिश्रित एवं मार्ग

योग . . . कुल रकबा 0.445316 में से  
0.414498 हेक्टेयर

**नोट—**

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 12.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

**शर्ते—**

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
3. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. यूडीएच-3-0071-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3293-टी सी-116-भोपाल-उपांनगानि-2022, भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैं :—

**अनुसूची**

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लांबाखेड़ा तह. हुजूर जिला भोपाल.	267	1.2210	कृषि	आवासीय

योग . . . 1.2210

**नोट —**

1. भूमि के उत्तर दिशा स्थित विद्यमान वर्तमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. यूडीएच-3-0072-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3120-टी सी-106-छिन्दवाड़ा-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

**अनुसूची**

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	यातायात (बस डिपो) वाणिज्यिक एवं मार्ग।	मिश्रित एवं मार्ग
1	लोनियाकरबलं, तह. छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा	153	0.8940		
योग . .					0.8940

**नोट—**

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 36.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

**शर्तें—**

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियाँ हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
3. उपरोक्त उपांतरण छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. यूडीएच-3-0086-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3002-टी सी-92-भोपाल-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

### अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5) कृषि	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6) औद्योगिक एवं मार्ग
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	अचारपुरा	369/2/1	16.990 हेक्टेयर में से 4.00 हेक्टेयर		
			योग . .	16.990 हेक्टेयर में से 4.00 हेक्टेयर	

#### नोट—

- स्थल के उत्तर दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

क्र. यूडीएच-3-0069-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3187-टी सी-115-भोपाल-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैः—

### अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	पीपलनेर, तह. हुजूर, जिला भोपाल.	139/2 140/2	1.571 हेक्टेयर में से 0.152 हेक्टेयर 0.607 हेक्टेयर में से 0.568 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		योग . .	2.178 हेक्टेयर में से 0.720 हेक्टेयर		

#### नोट—

- भूमि के दक्षिण दिशा स्थित विद्यमान आसाराम बापू चौराहे से नरसिंगढ़ की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर रखना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगा।
- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियाँ हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी।
- उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2022

क्र. एफ-1-8-22-रा.स.-यू.ए. 1-1499.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, एटद्वारा, डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, पूर्व निदेशक, (विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), 82, न्यू राम नगर, आधारताल, जबलपुर-482004 (मध्यप्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2022

क्र. एफ-1-6-22-रा.स.-यू.ए. 1-1536.—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्रमांक 02, सन् 2016) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कण्ठका 2.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1. प्रो. टी. आर. थापक, कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश).	समिति के अध्यक्ष सदस्य	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित
3. प्रो. प्रकाशमणि त्रिपाठी, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्यप्रदेश).	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की ओर से कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. टी. आर. थापक, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।		
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।		
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-272-2022-रा.स.-यू.ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी।		
		कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर के आदेशानुसार, स्वरोचिषि सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.

## कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण

विन्ध्याचल भवन, भू-तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. 1110(2)-फा. दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम 34(2) ख के अनुसरण में, एटद्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित शीतकालीन विश्वामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक कुल पाँच दिवस शीतकालीन विश्वामावकाश पर रहेंगे।

तथापि उक्त विश्वामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
अरविंद प्रताप सिंह चौहान, रजिस्ट्रार.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
खण्डवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2022-23.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के पत्र क्रमांक 2435-कार्य-आवंतिया म. परि.-2022-खण्डवा, दिनांक 26 सितम्बर 2022 के द्वारा जल संसाधन संभाग, खण्डवा अंतर्गत निर्माणाधीन आवंतिया मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वाब क्षेत्र में वन ग्राम सरमेश्वर के पट्टाधारकों का भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया है। साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भौपाल के पत्र क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए-दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संबंधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्मांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में, वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	सरमेश्वर वन ग्राम	36.042	खण्डवा जिले के अंतर्गत भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के भाम बांध निर्माण कार्य हेतु वत क्षेत्र सरमेश्वर में द्वाब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

**नोट.—**उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वाब प्रभावित होने से प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	सरमेश्वर वन ग्राम	36.042	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, खण्डवा	खण्डवा जिले के अंतर्गत भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के भाम बांध निर्माण कार्य हेतु वत क्षेत्र सरमेश्वर में द्वाब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

**नोट.—**उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0002-अ-82-2022-23.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के पत्र क्रमांक 2433-कार्य-आवलिया म. परि.-2022-खण्डवा, दिनांक 26 सितम्बर 2022 के द्वारा जल संसाधन संभाग, खण्डवा अंतर्गत निर्माणाधीन आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वूब क्षेत्र में वन ग्राम आवलिया के पट्टाधारकों का भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया है। साथ ही अवगत कराया कि उक्त कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2ए-दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संबंधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्मांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में, वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खालवा	आवलिया वन ग्राम	34.726	खण्डवा जिले के अंतर्गत आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आवलिया बांध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र आवलिया (रिजर्व फारेस्ट) में द्वूब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र. 0002-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वूब प्रभावित होने से प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	आवलिया वन ग्राम	34.726	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, खण्डवा	खण्डवा जिले के अंतर्गत आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आवलिया बांध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र आवलिया (रिजर्व फारेस्ट) में द्वूब प्रभावित पट्टेधारियों की वनभूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 22 अगस्त 2022

**क्रमांक-73-भू-अर्जन-2022.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	बिठली	0.496	पुलिस चौकी बिठली के भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि

### अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	64/2, 65, 66	1.040	0.486	सुधीर कुमार पिता शिखरचंद जैन जाति जैन निवासी बालाघाट, भूमिस्वामी (बिठली)
2	59/2	0.406	0.010	सुरेन्द्रसिंह व. चैनसिंह व. कौड़ू जाति गोंड सा. देह
<b>घोग :</b>		<b>1.446</b>	<b>0.496</b>	

- (2) चूंकि पुलिस चौकी बिठली के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.balaghat.nic.in](http://www.balaghat.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

**क्रमांक-74-भू-अर्जन-2022.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	गढ़ी	0.061	ग्राम गढ़ी अनुसुचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि।

## अनुसूची-2

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल रकबा (3)	कुल अर्जित रकबा (हे. में.) (4)	धारक का नाम (5)
1	116/1	0.061	0.061	कमलियाबाई पति स्व. टेकसिंह (सहखातेदार शिमला बाई, उदयसिंह, पिता टेकसिंह) निवासी गढ़ी.
योग :			0.061	0.061

- (2) चूंकि अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास भवन गढ़ी के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.balaghat.nic.in](http://www.balaghat.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक-75-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बैहर	जत्ता रै.	0.796	पद्दीनाला लघु जलाशय निर्माण

## अनुसूची-2

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल रकबा (3)	कुल अर्जित रकबा (हे. में.) (4)	धारक का नाम (5)
1	15/2	5.338	0.352	छबीलाल वल्द चर्तुभुज जाति गोड़ निवासी मलाजखण्ड
2	12/10	0.405	0.084	दुर्गाप्रसाद वल्द फुलचन्द जाति मरार सा. देह. भूमिस्वामी
3	12/11	0.405	0.090	बालचन्द वल्द पलटन वैगरह
4	12/12	0.547	0.270	जीवनलाल वल्द लक्सी जाति गोवारा सा. देह. भूमिस्वामी.
योग :			0.796	

- (2) चूंकि पद्दीनाला लघु जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.balaghat.nic.in](http://www.balaghat.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक-76-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नंबर (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बैहर	सिजोरा	1.856	बैजलपुर लघु जलाशय निर्माण

### अनुसूची-2

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2/2	1.545	1.323	सन्तनसिंह वल्द जेठू जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
2	5/3	0.405	0.080	लालसिंह वल्द पूरनसिंह जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
3	5/8	0.405	0.226	धनीराम वल्द ब्रजलाल जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
4	5/7	0.405	0.030	फगनसिंह वल्द ब्रजलाल जाति गोंड निवासी बैजलपुर.
<b>योग :</b>			<b>1.659</b>	

### नहर पूरक भू-अर्जन ग्राम सिजोरा प. ह. नं. 52

5	46/3	1.619	0.145	मथुरा वि. हीरालाल, भगतराम, सन्तन सिंह, मिलनसिंह वल्द हीरालाल जाति गोंड निवासी सरईटोला.
6	46/5	0.405	0.052	कोपसिंह वल्द फन्दी जाति गोंड निवासी सिजोरा.
<b>योग :</b>			<b>0.197</b>	

### कुल योग :

**1.856**

- (2) चूंकि बैजलपुर जला. के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।  
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।  
 (4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.balaghat.nic.in](http://www.balaghat.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
छिन्दवाड़ा, दिनांक 02 नवम्बर 2022**

क्र. 6894-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-03-2017-18-लघु.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अंतर्गत “सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम-कुकड़ीखापा प.ह.नं.-64 ब. नं.-47 रा.नि.मं.- पांदुर्णा.	रकबा-14.856 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांदुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा।	डीलनाला जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पांदुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, पांदुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6895-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-03-2017-18-लघु.सि.-31-1358, भोपाल, दिनांक 19 जून 2018 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत “सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम-करव्हार	रकबा-01.000	भू-अर्जन अधिकारी,	डोलनाला जलाशय के				
		प.ह.नं.-63	हेक्टेयर एवं	तहसील-पांदुर्णा,	बांध निर्माण में डूब				
		ब. नं.-36	उपरोक्त भूमि	जिला-छिन्दवाड़ा.	क्षेत्र के लिये निजी भूमि				
		रा.नि.मं.-	पर आने वाली		अधिग्रहण किये जाने के				
		पांदुर्णा.	परिसंपत्तियां.		संबंध में.				

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पांडुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपर्युक्त, पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़ बनहरीकलां	निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के दूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का पूरक प्रस्ताव ग्राम बनहरीकलां तह. व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)
		कुल रकम 12.00 हे.			
		शासकीय भूमि-00			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) बनहरीकलां	(4) निजी भूमि स्थित-2 मकान क्षेत्रफल 105.61 वर्गमी. एवं शासकीय भूमि स्थित-4 मकान क्षेत्रफल 794.36 कुल मकान-06 कुल क्षेत्रफल 899.97 वर्ग मी.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पर्वई.	(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के झूब क्षेत्र में प्रभावित मकान का प्रस्ताव ग्राम बनहरीकलां तह.व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पर्वई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) कुंवरपुर	(4) निजी भूमि पर स्थित-4 मकान क्षेत्रफल 241.99 वर्ग मी. एवं शासकीय भूमि पर स्थित-348 मकान क्षेत्रफल 25952.42 वर्ग मी. कुल 352 मकानों का क्षेत्रफल 26194.41 वर्ग मी.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पर्वई.	(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के झूब क्षेत्र में प्रभावित मकान का प्रस्ताव ग्राम कुंवरपुर तह.व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पर्वई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 20 जून 2022

पत्र क्र. 280-भू-अर्जन-2022-प्र. क्र. 01-अ-82-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—उदयपुरा
- (ग) ग्राम—मोहड़ कलां एवं केतोधान
- (घ) भूमि का क्षेत्रफल—0.368 हेक्टेयर.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
416	1.218	0.190
199/1/2	2.834	0.038
199/2	2.241	0.140

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :—लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग घोपाल हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम मोहड़ कलां एवं केतोधान तहसील उदयपुरा.
- (3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 16 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 02-अ-82-22-23-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—सिटी सेन्टर
- (ग) ग्राम—ऑहदपुर
- (घ) क्षेत्रफल—0.807 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
266	0.575
270	0.042
304	0.042
267	0.074
268	0.064
272	0.010
योग	0.807

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :—निर्माणाधीन नवीन जिला न्यायालय भवन ग्वालियर में ज्यूडिशियल कॉम्प्लैक्स एवं प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन
- (3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कौशलैन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग**

पृ.क्र.-07-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-22-5749

सागर, दिनांक 29 जुलाई 2022

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टेर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

(1) परियोजना का नाम	:	<u>कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण</u>
(2) भूमि का विवरण—		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	रहली
3. ग्राम	:	मङ्खेड़ा
4. पट.ह.नं.	:	
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	84.44 हेक्टेर

::अनुसूची-1::

क्र. सं.	नाम भूमि स्वामी/पिता— पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजाराम पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	2/1/1	0.20	0.20	0.00	
			2/3/4	0.12	0.12	0.00	
2	मलखान पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/2	0.60	0.60	0.00	
3	अवतार पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/3	0.60	0.60	0.00	
4	राममिलन पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/1/4	0.20	0.20	0.00	
5	सूरतर्सींग पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	2/2	1.62	1.62	0.00	
6	प्रेहलाद पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/3/1	0.60	0.60	0.00	
7	यशवंत पिता राजाराम	भूमिस्वामी	2/3/2	0.30	0.30	0.00	

8	आकाश पिता सुखदेव 20/60 भाग, धर्मन्द्र पिता सुखदेव 20/60 भाग, बाई पत्नी सुखदेव	भूमिस्वामी	2/3/3	0.60	0.60	0.00	
9	रगवीर पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/1	0.64	0.64	0.00	
10	मगवानसींग पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/2	0.63	0.63	0.00	
11	सीताराम पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/3	0.63	0.63	0.00	
12	कैलाश पिता छुट्टी	भूमिस्वामी	3/1/4	0.63	0.63	0.00	
13	शेरसींग पिता बुद्धसींग	भूमिस्वामी	3/2	0.80	0.80	0.00	
14	राघव पिता रमेश	भूमिस्वामी	3/3	1.60	1.60	0.00	
15	यशवंत पिता राजाराम	भूमिस्वामी	5/1	0.30	0.30	0.00	
16	देवेन्द्र पिता बहादुर	भूमिस्वामी	5/2	0.72	0.72	0.00	
17	राममिलन पिता राजाराम	भूमिस्वामी	5/3	0.40	0.40	0.00	
18	सूरतसींग पिता जगन्नाथ	भूमिस्वामी	5/4	0.71	0.71	0.00	
19	सियारानी बेवा छुट्टी 13/57 भाग, सेवत पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, भागवाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, पोथीबाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग, मुलाबाई पुत्री छुट्टी 11/57 भाग	भूमिस्वामी	6	0.57	0.57	0.00	
20	रामप्यारे पिता कड़ोरीलाल	भूमिस्वामी	7/1	0.83	0.83	0.00	
21	गौरवसिंह ना.बा. पिता महेन्द्रकुमार संरक्षक महेन्द्रकुमार	भूमिस्वामी	7/2	0.40	0.40	0.00	
22	देशरानी पति परषोत्तम	भूमिस्वामी	8/1	0.88	0.88	0.00	
		भूमिस्वामी	8/2	1.2	1.20	0.00	
		भूमिस्वामी	8/3	0.4	0.40	0.00	
23	शिवप्रसाद पिता मुलू	भूमिस्वामी	9	0.57	0.57	0.00	
24	मुलू पिता बुदू	भूमिस्वामी	10	1.57	1.57	0.00	
25	मुन्नीलाल दम्मू हल्लू पिस. शंकर शांतीबाई पुत्री शंकर ललताबाई वेवा शंकर	भूमिस्वामी	11	1.03	1.03	0.00	
		भूमिस्वामी	12/1	0.46	0.46	0.00	
26	मिटठल पिता मांगू	भूमिस्वामी	12/2	1.01	1.01	0.00	

27	राजेश पिता रतिराम सोनावाई पुत्री रतिराम मागवाई वेवा रतिराम	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	13 39	1.59 1.52	1.59 1.52	0.00 0.00	
28	महादेव पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	15/1	0.2	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	17/1	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	23/4	0.58	0.58	0.00	
29	राजेन्द्रकुमार सुरेशकुमार पि. जगतसींग	भूमिस्वामी	15/2	1.41	1.41	0.00	
30	नवेशकुमार पिता जगतसिंह	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	17/2 15/3	0.22 0.48	0.22 0.48	0.00 0.00	
31	लक्ष्मन पिता हीरा	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	15/4 17/3 23/8	0.2 0.12 0.57	0.20 0.12 0.57	0.00 0.00 0.00	
32	सियारानी वेवा हीरालाल	भूमिस्वामी	15/5	0.08	0.08	0.00	
33	संतोषकुमार नरेशकुमार राजेन्द्र सुरेश पिस. जगतसींग	भूमिस्वामी	23/1	1.86	1.86	0.00	
34	ओंकारसींग पिता मूरतसींग	भूमिस्वामी	23/2	0.4	0.40	0.00	
35	भागीरथप्रसाद पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/1	0.54	0.54	0.00	
36	रामसेवक पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/2	0.56	0.56	0.00	
37	कंछेदी पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/3	0.56	0.56	0.00	
38	देवीप्रसाद पिता नारायण	भूमिस्वामी	23/3/4	0.6	0.60	0.00	
39	बलराम पिता काशीराम	भूमिस्वामी	23/5/1	0.58	0.58	0.00	
40	कड़ोरी पिता काशीराम	भूमिस्वामी	23/5/2	0.57	0.57	0.00	
41	खेमचंद पिता भैयालाल उफ सीताराम	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	23/7/2/2 32/3/2/2	0.76 0.1	0.76 0.10	0.00 0.00	
42	बाबूलाल पिता जमना	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	23/7/1/2 32/3/1/2	0.76 0.1	0.76 0.10	0.00 0.00	
43	पणू पिता जमना	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	23/7/1/1 32/3/1/1	0.76 0.1	0.76 0.10	0.00 0.00	

44	आनंद पिता भैयालाल उर्फ सीताराम	भूमिस्वामी	23/7/2/1	0.76	0.76	0.00	
		भूमिस्वामी	32/3/2/1	0.1	0.10	0.00	
45	महेन्द्र पिता ओमकार 1/2, लालसिंह पिता ओमकार 1/2 भाग	भूमिस्वामी	24	0.45	0.45	0.00	
		भूमिस्वामी	26	0.34	0.34	0.00	
46	हरप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	25	0.4	0.40	0.00	
		भूमिस्वामी	40	1.75	1.75	0.00	
		भूमिस्वामी	41	0.2	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	50	0.09	0.09	0.00	
47	मनीराम मंगल श्याम पण्ठे सहदेव पिता मूरतसींग सावित्री गुड़डी पुत्री मूरतसींग	भूमिस्वामी	28	0.9	0.90	0.00	
48	लक्ष्मीरानी पत्नी हल्ले उर्फ मनोहर	भूमिस्वामी	29/1	0.18	0.18	0.00	
49	पूरन पिता गोकल	भूमिस्वामी	29/3	0.4	0.40	0.00	
		भूमिस्वामी	23/6	0.73	0.73	0.00	
50	जानकी मोती पिस. शंकर	भूमिस्वामी	29/2	0.17	0.17	0.00	
		भूमिस्वामी	44/2	0.25	0.25	0.00	
		भूमिस्वामी	54/1	0.35	0.35	0.00	
51	प्रकाश पिता रामकिशन	भूमिस्वामी	33	1.07	1.07	0.00	
		भूमिस्वामी	29/4	0.4	0.40	0.00	
		भूमिस्वामी	31/2	0.4	0.40	0.00	
		भूमिस्वामी	32/4	0.04	0.04	0.00	
52	बशी पिता गोकल	भूमिस्वामी	31/1	0.34	0.34	0.00	
		भूमिस्वामी	32/1	0.54	0.54	0.00	
		भूमिस्वामी	32/2	0.2	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	32/5	0.06	0.06	0.00	
53	मोहन पिता नन्नाई	भूमिस्वामी	34/1/1	0.15	0.15	0.00	
		भूमिस्वामी	34/5/1	0.27	0.27	0.00	
54	किशोरसिंह पिता हरिसिंह	भूमिस्वामी	34/1/2/1	0.22	0.22	0.00	

		भूमिस्वामी	34/5/2	0.8	0.80	0.00	
55	राधवेन्द्रसिंह ठाकुर पिता सोबन सिंह	भूमिस्वामी	34/1/2/2	0.2	0.20	0.00	
56	सतीशकुमार पिता माधवप्रसाद	भूमिस्वामी	34/2	0.8	0.80	0.00	
57	मगवानदास पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	34/3	1.66	1.66	0.00	
58	राजकुमार पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	34/4	0.83	0.83	0.00	
59	रामनाथ पिता पंचे	भूमिस्वामी	35/1	0.4	0.40	0.00	
60	रामनाथ पिता पंचे छोटेलाल कुंजीलाल लखनलाल पिता रामनाथ भागबाई पिता रामनाथ कुर्मी	भूमिस्वामी	35/2	0.4	0.40	0.00	
61	छोटेलाल पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	35/3	0.8	0.80	0.00	
62	लखनलाल पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	35/4	0.8	0.80	0.00	
63	तेजी पिता हजारी	भूमिस्वामी	36	1.33	1.33	0.00	
		भूमिस्वामी	38	0.69	0.69	0.00	
64	चंद्रभान पिता लालचंद साहू 28/112 भाग, निर्मलाबाई पुत्री लालचंद 28/112, पार्वतीबाई पुत्री लालचंद 28/112, सरोजरानी वेवा लालचंद 28/112 भाग	भूमिस्वामी	37/1	1.12	1.12	0.00	
65	गफ्लू पिता हरिराम	भूमिस्वामी	37/2	1.12	1.12	0.00	
66	गुड़ीबाई उर्फ राजेशरानी पुत्री हरिराम पत्नी भगवानदास	भूमिस्वामी	37/3	1.12	1.12	0.00	
67	रामदास अजुद्दी माखन मूलचंद पिता भैयालाल सियानीबहु वेवा भैयालाल	भूमिस्वामी	43/1	0.14	0.14	0.00	
68	राजकुमार हरीदास पिस. रामनाथ	भूमिस्वामी	43/2	0.88	0.88	0.00	
		भूमिस्वामी	47	0.27	0.27	0.00	
		भूमिस्वामी	48	0.44	0.44	0.00	
		भूमिस्वामी	49	0.07	0.07	0.00	
69	सूरजबाई पति केशराम	भूमिस्वामी	44/1	0.24	0.24	0.00	
70	रामनाथ पिता काशीराम	भूमिस्वामी	46	0.43	0.43	0.00	
71	काशीराम पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	42	0.22	0.22	0.00	

		भूमिस्वामी	51	0.07	0.07	0.00	
		भूमिस्वामी	64	1.9	1.90	0.00	
72	तिलकर्सींग पि. माखनलाल	भूमिस्वामी	52	0.2	0.20	0.00	
73	राजकुमार हरिदास नाबालिंग पिता रामनाथ संरक्षक रामनाथ	भूमिस्वामी	53	0.3	0.30	0.00	
74	सूरजबाई पति केशराम	भूमिस्वामी	54/2	0.36	0.36	0.00	
75	उमाशंकर उर्फ मुन्नालाल पिता काशीराम	भूमिस्वामी	55	3.58	3.58	0.00	
76	सीताराम पि. काशीराम	भूमिस्वामी	56	2.62	2.62	0.00	
77	कैलाश पि. काशीराम	भूमिस्वामी	57	2.69	2.69	0.00	
78	रामा पिता ब्रजलाल	भूमिस्वामी	58	2.82	2.82	0.00	
79	मनोहर पिता परशोत्तम	भूमिस्वामी	61/1	1.03	1.03	0.00	
80	शिव जगदीश धनीराम पवन पिता राजाराम भागबाई पुत्री राजाराम प्रेमबाई बेवा राजाराम	भूमिस्वामी	61/2	1.6	1.60	0.00	
81	नरेश पिता परशोत्तम	भूमिस्वामी	61/3	0.82	0.82	0.00	
82	बद्रीप्रसाद पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/1	0.45	0.45	0.00	
83	घनश्याम पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/2	0.45	0.45	0.00	
84	मुन्नीलाल पिता हरवंश	भूमिस्वामी	63/3	0.45	0.45	0.00	
85	कामताप्रसाद पिता नाथूराम दुर्गाप्रसाद पिता नाथूराम मोतीलाल पिता नाथूराम शीलाबाई पिता नाथूराम रामदुलारी वेवा नाथूराम कुर्मी	भूमिस्वामी	63/4	0.46	0.46	0.00	
86	प्यारेलाल पिता काशीराम	भूमिस्वामी	65	2.97	2.97	0.00	
	कुल		/४/	84.44	84.44	0.00	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए

भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिस्ट्री कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को

अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2896 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पृ.क्र.—18 अ—82—2022—23—भू—अर्जन—22—6956

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2022

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टेर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

(1)	परियोजना का नाम	:	<u>कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण</u>
(2)	भूमि का विवरण—		
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	रहली
3.	ग्राम	:	समनापुर बेरखेडी
4.	पट.हं.नं.	:	45 हिनोती
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	75.30 हेक्टेर.

## ::अनुसूची-1::

क्र. स.	नाम भूमि स्वामी/पिता— पति का नाम निवास	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमार्क
1	पुष्पाबाई पुत्री तोड़ल	भूमिस्वामी	89/1	3.23	0.48	2.75	
2	रितु जौजे चक्रेशकुमार	भूमिस्वामी	89/2	1.00	0.15	0.85	
3	मणि जौजे आनंदकुमार	भूमिस्वामी	89/3	1.00	0.15	0.85	
4	रचना जौजे राजेशकुमार	भूमिस्वामी	89/4	1.20	0.18	1.02	
5	सोमेशकुमार पिता ऋषभकुमार जैन	भूमिस्वामी	91	1.51	0.91	0.60	
6	सियारानी पति महादेव	भूमिस्वामी	93/1	0.80	0.72	0.08	
7	रतीराम थानसींग पिता मकुंदी	भूमिस्वामी	93/2	0.80	0.72	0.08	
8	यमंककुमार पिता अजयकुमार 1/3, सक्षमकुमार पिता अजयकुमार 1/3, मधुलता पुत्री अजयकुमार 1/3 भाग	भूमिस्वामी	94	0.70	0.35	0.35	

9	देवेन्द्रकुमार पिता अन्दीलाल	भूमिस्वामी	95	0.80	0.64	0.16	
		भूमिस्वामी	96/2	0.45	0.41	0.05	
		भूमिस्वामी	188/2	0.20	0.20	0.00	
10	बलराम पिता नथू 1/10, शिव्वोबाई वेवा नथू 2/10, नन्हेभाई पिता नथू 2/10 हल्लेभाई पिता नथू 2/10, प्पारेलाल पिता नथू 2/10, प्रेमबाई पुत्री नथू 2/10 भाग	भूमिस्वामी	96/1/1	0.10	0.09	0.01	
11	रामबाई गौड़ पत्नी कमलसिंह	भूमिस्वामी	96/1/2	0.45	0.41	0.05	
12	रतिराम थानसींग पिता मकुंदी सरोजबाई वतीबाई पुत्री मकुंदी	भूमिस्वामी	97/1	2.06	1.85	0.21	
13	कमलसिंह पिता रतिराम	भूमिस्वामी	97/2	1.00	0.90	0.10	
14	लठई इन्द्रजीत रामप्रसाद पि. पुसऊ	भूमिस्वामी	98	1.13	0.90	0.23	
15	बिरजू पुत्र रामलाल	भूमिस्वामी	99/1/1	0.66	0.66	0.00	
16	खरगराम पिता चिंटाई चढार	भूमिस्वामी	99/1/2	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	100	0.40	0.40	0.00	
17	पूरनसिंह पिस. सूरतसींग	भूमिस्वामी	99/2	0.50	0.50	0.00	
18	पुष्पेन्द्र नाबा. पिता रतन वली माँ खुद गेंदाबाई गीता नाबा. सीता नाबा. पिता रतन वली खुद माँ गेंदाबाई वेवा रतन	भूमिस्वामी		0.80	0.80	0.00	
19	रामप्रसाद पिता गोकल	भूमिस्वामी	99/4	0.40	0.40	0.00	
20	शांतीबाई पति शेरसिंह	भूमिस्वामी	101	1.19	1.19	0.00	
		भूमिस्वामी	102/2	0.08	0.08	0.00	
21	परशोत्तम पिता सुंदरलाल	भूमिस्वामी	103/1	0.60	0.48	0.12	
22	लटोरी पिता हरी	भूमिस्वामी	103/2	1.21	0.97	0.24	
23	हरदयाल पिता सुंदरलाल	भूमिस्वामी	103/3	0.60	0.48	0.12	
24	खुशीलाल पिता कमोदप्रसाद कुर्मी	भूमिस्वामी	103/4	0.60	0.48	0.12	
25	बिहारी पिता गजू	भूमिस्वामी	104/1	0.05	0.01	0.04	
		भूमिस्वामी	104/3	1.53	0.31	1.22	
26	परसू पिता गजू	भूमिस्वामी	104/2	0.19	0.04	0.15	
		भूमिस्वामी	104/4	1.48	0.30	1.18	

	जानकीबाई पति सहाबसिंह	भूमिस्वामी	121/1	1.66	1.58	0.08	
27		भूमिस्वामी	121/3	0.55	0.52	0.03	
28	नीलेशबाई पिता साहबसोंग	भूमिस्वामी	121/2	0.80	0.76	0.04	
29	सुन्नू पिता बालकिशुन	भूमिस्वामी	123/1	0.20	0.03	0.17	
30	अच्छेलाल पिता बालकिशुन	भूमिस्वामी	123/2	0.60	0.09	0.51	
31	बालकिशन पिता नंदे	भूमिस्वामी	124	1.12	0.78	0.34	
32	हल्काई पिता धुंधा 56/77 भाग, जमना पिता धुंधा 05/77, लक्ष्मन पिता धुंधा 16/77 भाग	भूमिस्वामी	139/1/1	0.77	0.46	0.31	
33	गोविंद पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	139/1/2	0.50	0.30	0.20	
34	जनकरानी पत्नी बालकिशुन	भूमिस्वामी	139/2	0.40	0.24	0.16	
35	कंछेदी पिता रति दुर्गाबाई पुत्री रति	भूमिस्वामी	145	0.85	0.34	0.51	
36	ओमप्रकाश पिता रघुनंदन	भूमिस्वामी	146	1.33	0.53	0.80	
37	भैयाराम पिता दार्मोदर	भूमिस्वामी	183	1.02	1.02	0.00	
38	पन्नालाल वल्द भैयाराम	भूमिस्वामी	184	1.00	1.00	0.00	
39	सरमन सुशीला पिता टीकाराम चन्द्ररानी वेवा टीकाराम घनश्याम पिता दौलत शकुनबाई भागबाई पिता दौलत रैकवार	भूमिस्वामी	186/1	0.84	0.84	0.00	
40	रामधरन पिता दिमान	भूमिस्वामी	186/2	0.21	0.21	0.00	
41	भरत तारा रख्खीबाई राधाबाई सहोद्राबाई पिता रामधरन रामधरन पिता दिमान	भूमिस्वामी	187	0.98	0.98	0.00	
42	रामचरण पिता शोभा	भूमिस्वामी	188/1	0.62	0.62	0.00	
43	मोहन सोहन लक्ष्मन बालमुकुंद पिता रमजू भागबाई शकुनबाई जमनाबाई राधाबाई पिता रमजू पिता रमजू	भूमिस्वामी	190	0.80	0.80	0.00	
44	मिठू पिता हरकिशन	भूमिस्वामी	191	0.80	0.80	0.00	
45	सीताराम पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/1	0.12	0.12	0.00	
		भूमिस्वामी	194/3	0.67	0.67	0.00	
		भूमिस्वामी	203/1	0.11	0.11	0.00	
46	कम्मू पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/2	0.12	0.12	0.00	
		भूमिस्वामी	194/1	1.00	1.00	0.00	

		भूमिस्वामी	203/2	0.12	0.12	0.00	
47	मूलचंद पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/3	0.12	0.12	0.00	
		भूमिस्वामी	203/3	0.11	0.11	0.00	
48	भगवानदास पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/4	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	194/2	1.00	1.00	0.00	
		भूमिस्वामी	203/4	0.12	0.12	0.00	
49	दुर्गाशंकर पिता धरमदास	भूमिस्वामी	192/5	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	198	0.62	0.09	0.53	
		भूमिस्वामी	200/1	0.14	0.03	0.11	
		भूमिस्वामी	203/5	0.12	0.12	0.00	
50	मथराबाई पुत्री धरमदास 1/2, रूपवती बाई पुत्री धरमदास 1/2 भाग	भूमिस्वामी	192/6	0.22	0.22	0.00	
		भूमिस्वामी	203/6	0.22	0.22	0.00	
51	मुन्नालाल पिता चिंटाई	भूमिस्वामी	195/1	0.32	0.32	0.00	
52	आशाराम पिता चिंटाई	भूमिस्वामी	195/2	0.32	0.32	0.00	
53	सुन्नू परघोत्तम पिस. बालकिशुन	भूमिस्वामी	196/1	1.21	1.15	0.06	
54	ननाई पति राधारानी पिता कड़ेरी	भूमिस्वामी	196/2	1.45	1.38	0.07	
55	सुन्नू परघोत्तम पिस. बालकिशुन	भूमिस्वामी	197	0.40	0.38	0.02	
56	मुरलीधर पिता तेजी	भूमिस्वामी	200/2	0.26	0.05	0.21	
		भूमिस्वामी	201	0.80	0.04	0.76	
57	रामचरण बाबूलाल पिस. दौलत सिरदार वे. दौलत कोमल पिता सूरतसिंह	भूमिस्वामी	202/1	3.05	2.90	0.15	
58	देवी भजनी हल्लू पिता रामचरण हरिबाई पुत्री रामचरण राजरानी वेवा रामचरण पिता रामचरण गाँड़	भूमिस्वामी	202/2	1.33	1.26	0.07	
59	भगवानसींग पिता बाबूलाल 1/3, प्रकाशरानी वेवा बाबूलाल 1/3, दयाबंती पुत्री बाबूलाल 1/3 भाग	भूमिस्वामी	202/3	1.32	1.25	0.07	
60	गजराराज हल्लेभाई पिता पूरन ममता शांती पारवती नन्नीबाई पुत्री पूरन	भूमिस्वामी	204	0.80	0.80	0.00	
61		भूमिस्वामी	205	0.80	0.80	0.00	

	रामलाल भगवानदास नरेन्द्रकुमार पिता लोडल मथुराबाई उर्मिलाबाई पिता तोडल	भूमिस्वामी	211/1	0.40	0.40	0.00	
62	सियारानी वेवा रामसींग	भूमिस्वामी	206	0.90	0.90	0.00	
63	राजाराम पुत्री जगन्नाथ हल्लू संतोष पिता लूला इमरती पिता लूला	भूमिस्वामी	207	0.80	0.80	0.00	
64	रत्नीराम लक्ष्मन पिस. बारेलाल पार्वतीबाई पुत्री बारेलाल सरीती वेवा बारेलाल	भूमिस्वामी	208	0.80	0.80	0.00	
65	श्यामलाल पिता हीरालाल	भूमिस्वामी	209	0.82	0.82	0.00	
66	चन्द्ररानी जोजे सोहन	भूमिस्वामी	210/1	0.20	0.20	0.00	
67	चंद्ररानी वेवा सोहन दीपक आनंद विकास पिस. सोहन विनीता मोना पुत्रियां सोहन	भूमिस्वामी	210/2	0.63	0.63	0.00	
		भूमिस्वामी	210/3	0.21	0.21	0.00	
68	रघुवर प्रसाद काशीबाई पिता बंदेले अहिरवार	भूमिस्वामी	211/2	0.40	0.40	0.00	
69	काशीराम पिता कडोरी	भूमिस्वामी	212/1/1	0.93	0.88	0.05	
70	शिल्पि पिता कडोरी	भूमिस्वामी	212/1/2	0.40	0.38	0.02	
71	प्रागरानी वेवा भैयालाल 24/94 भाग, देवीरसींग पिता भैयालाल 24/94, टुण्डो ऊषा पुत्री भैयालाल 46/94 भाग	भूमिस्वामी	212/1/3	0.94	0.89	0.05	
72	दिलवीरसिंह पिता बद्रीप्रसाद	भूमिस्वामी	212/2	0.56	0.53	0.03	
73	हरीसोंद रामसींग पि. बिहारी लाल बाहुदुरसींग नावा. पि.प. बिहारीलाल	भूमिस्वामी	213	0.40	0.02	0.38	
74	रामरत्न पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/1	0.50	0.40	0.10	
75	शालकराम पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/2	0.50	0.40	0.10	
76	दामोदर पिता करनसींग कुर्मी	भूमिस्वामी	216/3	0.50	0.40	0.10	
77	करन पिता गिरधारी	भूमिस्वामी	217	1.31	1.31	0.00	
78	बाबूलाल पिता परम बृजरानी पति परम	भूमिस्वामी	218	2.78	2.78	0.00	
79	साबू वल्द बद्रीप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	219/1	1.20	1.14	0.06	
80	बद्रीप्रसाद पिता छिमाधर	भूमिस्वामी	219/2	1.63	1.55	0.08	
81	नर्वदाप्रसाद पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/1	0.99	0.94	0.05	
82	माखन पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/2	1.00	0.25	0.75	
83	गुलाबसींग पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	220/3	1.00	0.25	0.75	

84	शालकराम दामोदर कुर्मी पिता करनसींग	भूमिस्वामी	221/1	0.41	0.41	0.00	
		भूमिस्वामी	221/2	0.40	0.40	0.00	
85	विजयकुमार जिनेशकुमार पिता रूपचंद	भूमिस्वामी	222	0.80	0.80	0.00	
86	कंछेदी पिता बिहारी	भूमिस्वामी	223	0.80	0.80	0.00	
87	बिहारी पिता बंशी	भूमिस्वामी	224	1.00	1.00	0.00	
88	गुलू पिता बलराम	भूमिस्वामी	225/1	0.61	0.61	0.00	
89	डब्बू गाँड पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	225/2	0.20	0.20	0.00	
90	फूलसींग पि. पुसई	भूमिस्वामी	226	1.00	1.00	0.00	
91	शिवदत्त पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	227	1.00	1.00	0.00	
92	रज्जू पिता हरिराम 1/9, गोवर्धन पिता हरिराम 1/9, बसंत पिता हरिम 1/9, हल्ले पिता हरिराम 1/9, मुलु पिता हरिराम 1/9, संतोष पिता हरिराम 1/9, संतोष पिता हरिराम 1/9, सीताबाई पुत्री हरिराम 1/9, सहोद्रबाई पुत्री हरिम 1/9, तेजाबाई वेवा हरिराम 1/9 भाग	भूमिस्वामी	228/1	2.65	2.65	0.00	
93	लखनसिंह पिता सूरतसिंह	भूमिस्वामी	228/2	0.40	0.40	0.00	
94	भागीरथ पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	229/1	0.99	0.99	0.00	
		भूमिस्वामी	230/1	0.80	0.80	0.00	
95	विजयकुमार पिता रूपचंद	भूमिस्वामी	229/2	0.80	0.80	0.00	
96	शांतिबाई पति शेरसिंह	भूमिस्वामी	229/3	0.20	0.20	0.00	
97	मुलामप्रसाद पिता जमनाप्रसाद 1/2, शेवप्रसाद पिता जमनाप्रसाद 1/2 भाग	भूमिस्वामी	230/2	0.20	0.20	0.00	
98	प्रताप कुंदन हल्लन पिता कड़ोरी ललताबाई वेवा कड़ोरी	भूमिस्वामी	231	0.74	0.74	0.00	
99	मुलाम शेवप्रसाद पुत्री जाली रामदुलारी वेवा जाली	भूमिस्वामी	232	1.00	1.00	0.00	
100	मुलाम शिवप्रसाद वा. पुत्र जमना वली मां रामदुलारी वे. जमना कृष्णबाई पार्वती भागबाई पुत्री जमना रामदुलारी वे. जमना परसोषोत्तम पि. सुंदर	भूमिस्वामी	234	0.30	0.30	0.00	
101	रमेश पिता शिवचरन	भूमिस्वामी	120/1	0.82	0.16	0.66	

102	सियारानी वेवा शिवचरन	भूमिस्वामी	120/2/1	0.40	0.02	0.38	
103	दिनेश कुमार पिता हरिनारायण	भूमिस्वामी	120/2/2	0.80	0.04	0.76	
104	रतनसिंग पि. भगवानसिंह	भूमिस्वामी	215/1	0.84	0.13	0.71	
106	देवेन्नसिंह लक्ष्मीनारायण पिता मोहनसिंह विध्याबाई वेवा मोहनसिंह	भूमिस्वामी	215/2	0.44	0.07	0.37	
	योग			<b>96.46</b>	<b>75.30</b>	<b>21.16</b>	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.—एफ 16—15—(8)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पृ.क्र.—19—अ—82—2022—23—भू—अर्जन—22—6957

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 9990 हेक्टेर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है—

(1) परियोजना का नाम	:	<u>कोपरा मध्यम परियोजनान्तर्गत बाँध निर्माण</u>
(2) भूमि का विवरण—		
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	रहली
3. ग्राम	:	मोतीपार
4. पट.ह.नं.	:	45 हिनौती
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	120.23 हेक्टेर

## ::अनुसूची-1::

संक्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता— परिता का नाम निवास	स्वभित्व का प्रकार	प्रभावित ख. नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा हे. में.	शेष रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	. 7	
1	खरगराम नन्नेलाल पिस. गन्ना पंखीबाई पुत्री गन्ना अवधारानी बेवा गन्ना	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	2/1 3	0.96 0.37	0.96 0.37	0.00 0.00	
2	मनोहर पिता पुरुषोत्तम	भूमिस्वामी	2/2	0.40	0.40	0.00	
3	घनश्याम पिता धीरेलाल	भूमिस्वामी	4/1	1.08	1.08	0.00	
4	पन्नालाल पिता बट्टूलाल	भूमिस्वामी	5	1.53	1.53	0.00	
5	बालकदास पि. नारायण	भूमिस्वामी	6	1.85	1.85	0.00	
6	पन्नालाल पिता बट्टू लाल	भूमिस्वामी	7	0.23	0.23	0.00	
7	कामताप्रसाद पिता धीरेलाल	भूमिस्वामी	8	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	10	1.00	1.00	0.00	
8	राजकुमार पुत्र नाथूराम	भूमिस्वामी	9/1	0.54	0.54	0.00	
9	अशोक पुत्र नाथूराम	भूमिस्वामी	9/2	0.54	0.54	0.00	

10	अमान सुरेश भूरे पिता निरपत	भूमिस्वामी	11	2.43	2.43	0.00	
11	मनोहरलाल पि. हरबंश	भूमिस्वामी	12	1.07	1.07	0.00	
12	कमलेशकुमार पिता चोखेलाल	भूमिस्वामी	13	1.07	1.07	0.00	
13	नारायण पिता दयाराम	भूमिस्वामी	14/1	1.07	1.07	0.00	
14	गोविन्द पिता दयाराम	भूमिस्वामी	14/2	1.01	1.01	0.00	
		भूमिस्वामी	15/2	0.06	0.06	0.00	
15	नारायणप्रसाद पिता दशरथ	भूमिस्वामी	65	0.13	0.13	0.00	
16	बलराम पिता मोहन	भूमिस्वामी	15/1	1.01	1.01	0.00	
		भूमिस्वामी	16	0.93	0.93	0.00	
		भूमिस्वामी	18	0.20	0.20	0.00	
17	उर्मिला पति शारदा	भूमिस्वामी	19	0.89	0.89	0.00	
		भूमिस्वामी	30	1.00	1.00	0.00	
		भूमिस्वामी	42/7	0.01	0.01	0.00	
18	लखनलाल पिता दशरथलाल	भूमिस्वामी	21	0.68	0.68	0.00	
19	भैयराम पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	21/3	1.98	1.98	0.00	
		भूमिस्वामी	40/1	1.17	1.17	0.00	
		भूमिस्वामी	43/1	1.16	1.16	0.00	
20	नरेशकुमार पिता नारायणप्रसाद	भूमिस्वामी	22	0.80	0.80	0.00	
21	लालचंद उर्फ लक्ष्मीप्रसाद पिता दशरथलाल	भूमिस्वामी	23	1.50	1.50	0.00	
		भूमिस्वामी	26	0.16	0.16	0.00	
		भूमिस्वामी	27	0.73	0.73	0.00	
		भूमिस्वामी	61	1.60	1.60	0.00	
22	खूबसिंग पिता जुझारसिंग	भूमिस्वामी	24/1	1.30	1.30	0.00	
23	मूरतसींग पिता प्रेमसींग	भूमिस्वामी	24/2	1.29	1.29	0.00	
24	दामोदर उर्फ भूरे पिता नारायण	भूमिस्वामी	25	1.24	1.24	0.00	
25	द्वारकाप्रसाद पि. नारायणप्रसाद	भूमिस्वामी	28/1	0.60	0.60	0.00	
		भूमिस्वामी	29/1	0.21	0.21	0.00	
		भूमिस्वामी	51	0.10	0.10	0.00	
		भूमिस्वामी	52	0.03	0.03	0.00	
		भूमिस्वामी	54/2	0.26	0.26	0.00	
		भूमिस्वामी	55	0.14	0.14	0.00	
		भूमिस्वामी	56	0.08	0.08	0.00	
		भूमिस्वामी	57/4	0.57	0.57	0.00	
		भूमिस्वामी	77/2	0.42	0.42	0.00	
26	भरत पिता सीताराम	भूमिस्वामी	28/2	0.43	0.43	0.00	
		भूमिस्वामी	57/6	0.32	0.32	0.00	
27	लखन पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	28/3	0.02	0.02	0.00	
		भूमिस्वामी	29/2	0.23	0.23	0.00	
28	राजेन्द्रप्रसाद पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	29/3	0.69	0.69	0.00	

			भूमिस्वामी	57/1	0.48	0.48	0.00
			भूमिस्वामी	76/1	0.47	0.47	0.00
29	हेमन्तकुमार उर्फ कलू पिता लखनलाल	भूमिस्वामी	31	2.42	2.42	0.00	
30	डेलनसिंह उर्फ डॉक्टर पिता लखनलाल	भूमिस्वामी	32	2.44	2.44	0.00	
31	बशी उर्फ बकील पिता नारायण	भूमिस्वामी	34	1.81	1.81	0.00	
32	कौशल्यारानी जोजे लालचंद	भूमिस्वामी	35	1.82	1.82	0.00	
33	हनुमत पिता शारदा	भूमिस्वामी	36	1.81	1.81	0.00	
		भूमिस्वामी	37/3	0.01	0.01	0.00	
34	विष्णु पिता गोकल	भूमिस्वामी	37/1	0.56	0.56	0.00	
		भूमिस्वामी	38/2	0.11	0.11	0.00	
		भूमिस्वामी	42/3	0.92	0.92	0.00	
		भूमिस्वामी	37/2	0.88	0.88	0.00	
35	पीताम्बर पिता गोकल	भूमिस्वामी	42/4	0.96	0.96	0.00	
		भूमिस्वामी	39	1.12	1.12	0.00	
36	संजय बबलू पिता रामभरोसी	भूमिस्वामी	109	0.16	0.16	0.00	
		भूमिस्वामी	41/1	0.30	0.30	0.00	
37	मुकेश पिता भोला	भूमिस्वामी	42/1	0.37	0.37	0.00	
		भूमिस्वामी	38/1	0.11	0.11	0.00	
38	रमेश पिता भोला	भूमिस्वामी	41/2	0.19	0.19	0.00	
		भूमिस्वामी	42/2	0.38	0.38	0.00	
		भूमिस्वामी	41/3	0.19	0.19	0.00	
39	पवन वल्द विष्णु	भूमिस्वामी	42/5	0.24	0.24	0.00	
		भूमिस्वामी	79/3	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	80/3	0.19	0.19	0.00	
		भूमिस्वामी	81/4	0.19	0.19	0.00	
40	सविता कुर्मी पत्नी पीताम्बर	भूमिस्वामी	42/6	0.20	0.20	0.00	
	रामदीन पिता गौरीशंकर	भूमिस्वामी	43/2	1.17	1.17	0.00	
41		भूमिस्वामी	40/2	0.89	0.89	0.00	
42	रामसेवक पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/2	0.04	0.04	0.00	
43	राकेशकुमार वल्द ज्वालालाप्रसाद	भूमिस्वामी	44	0.87	0.87	0.00	
44	ज्वालाप्रसाद वल्द गौरीशंकर	भूमिस्वामी	45	0.75	0.75	0.00	
		भूमिस्वामी	46/1	0.04	0.04	0.00	
45	गोटीराम पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	47/1	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/1	0.69	0.03	0.66	
46	लक्ष्मीरानी वेवा परषोत्तम सुरेन्द्र पिता परषोत्तम कुर्मी	भूमिस्वामी	46/3	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/3	0.69	0.69	0.00	

		भूमिस्वामी	47/3	0.04	0.04	0.00	
47	कन्हैयालाल पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/4	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	47/4	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/4	0.69	0.69	0.00	
48	संतोष पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/5	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	47/5	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/5	0.69	0.69	0.00	
49	केशबप्रसाद पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/6	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	47/6	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/6	0.69	0.69	0.00	
50	महारानी बेवा बैजनाथ	भूमिस्वामी	46/7	0.01	0.01	0.00	
		भूमिस्वामी	47/7	0.01	0.01	0.00	
		भूमिस्वामी	85/7	0.01	0.01	0.00	
51	रामसेवक पिता बैजनाथ	भूमिस्वामी	47/2	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	85/2	0.69	0.03	0.66	
52	रतिराम रामप्रसाद उर्फ बाबूलाल पिता द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	48	0.05	0.05	0.00	
		भूमिस्वामी	49	0.36	0.36	0.00	
		भूमिस्वामी	84	4.07	1.02	3.05	
53	पूनाबाई वेवा भोला जाति कुर्मी १/५ भाग रामसखी पिता भोला जाति कुर्मी १/५ भाग हेमराज पिता भोला जाति कुर्मी १/५ भाग मुकेश पिता भोला जाति कुर्मी १/५ भाग रमेश पिता भोला जाति कुर्मी १/५ भाग	भूमिस्वामी	50	0.03	0.03	0.00	
		भूमिस्वामी	53	0.10	0.10	0.00	
		भूमिस्वामी	78/1	1.01	0.71	0.30	
		भूमिस्वामी	80/1	0.04	0.04	0.00	
		भूमिस्वामी	81/1	0.20	0.20	0.00	
54	द्वारकाप्रसाद पि. नारायण, हल्लेभाई पिता द्वारकाप्रसाद, श्यामबाई, हल्लीबाई पुत्रियां द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	54/1	0.73	0.73	0.00	
		भूमिस्वामी	57/2	0.29	0.29	0.00	
55	हल्लेभाई पिता द्वारकाप्रसाद	भूमिस्वामी	57/3	0.20	0.20	0.00	
		भूमिस्वामी	58/2	0.01	0.01	0.00	
		भूमिस्वामी	76/2	0.22	0.22	0.00	
		भूमिस्वामी	77/1	0.38	0.38	0.00	
		भूमिस्वामी	77/5	0.08	0.08	0.00	
56	चन्द्रभान पिता सीताराम	भूमिस्वामी	76/3	0.66	0.66	0.00	

57	सीताराम पिता जमनाप्रसाद	भूमिस्वामी	58/1	0.16	0.16	0.00	
58	जनकरानी बेवा राधाशरण	भूमिस्वामी	59	1.30	1.30	0.00	
59	अनुसुईयारानी जोजे लखनलाल	भूमिस्वामी	60	1.26	1.26	0.00	
60	राजप्यारी जोजे नारायण	भूमिस्वामी	62	0.75	0.75	0.00	
61	नारायणप्रसाद पिता दशरथ	भूमिस्वामी	64/2	0.44	0.44	0.00	
62	गनेश पि. मोहन	भूमिस्वामी	68/1	0.05	0.05	0.00	
63	रुपरानी बेवा गौरीशंकर जाति अहिरवार 1/6 भाग पार्वती पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग हल्ली पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग माया पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग भागबाई पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग मीना पुत्री गौरीशंकर 1/6 भाग	भूमिस्वामी	66	1.00	1.00	0.00	
64	कोमलचंद पिता रामप्रसाद	भूमिस्वामी	67	0.30	0.27	0.03	
65	कमलरानी बेवा गरीबे घनश्याम देवीसौंग पिता गरीबे सोनाबाई मोनबाई पुत्री गरीबे परसू पिता पहारी काशीराम पि. पहारी हरप्रसाद पिता पहारी अहिरवार	भूमिस्वामी	69	0.85	0.81	0.04	
66	गुबंदी पिता बट्टू	भूमिस्वामी	70	1.20	1.08	0.12	
67	गोकल पिता दम्मे	भूमिस्वामी	71	1.03	0.62	0.41	
68	कमलरानी पति रतीराम	भूमिस्वामी	75/1	0.80	0.08	0.72	
69	जयराम पिता छदामी	भूमिस्वामी	75/2	0.80	0.40	0.40	
70	जगदीश पिता हिम्मत	भूमिस्वामी	75/3	0.80	0.32	0.48	
71	तेजाबाई पति रामेश्वर	भूमिस्वामी	75/6	0.80	0.04	0.76	
72	सुहागरानी बेवा सूरज 1/5 भाग, सोनू पिता सूरज 1/5, वीरेन्द्र नावा. पिता सूरज संरक्षक सुहागरानी 1/5, राधाबाई पुत्री सूरज 1/5 भाग राजकुमारी नावा. पुत्री सूरज संरक्षक सुहागरानी 1/5 भाग	भूमिस्वामी	75/7	0.76	0.08	0.68	
73	लक्ष्मन पिता पूरन	भूमिस्वामी	78/2	0.60	0.42	0.18	
		भूमिस्वामी	79/2	0.38	0.38	0.00	
		भूमिस्वामी	80/2	0.04	0.04	0.00	
74	भरत पिता गोकल	भूमिस्वामी	78/3	0.60	0.42	0.18	
		भूमिस्वामी	79/1	0.10	0.10	0.00	
		भूमिस्वामी	91	0.38	0.38	0.00	
75	ऋषि सुशील पिता पीताम्बर	भूमिस्वामी	79/4	0.30	0.30	0.00	
		भूमिस्वामी	80/4	0.09	0.09	0.00	
76	पूरन पिता गोकल	भूमिस्वामी	79/5	0.06	0.06	0.00	
77	मीरा बेवा गोकल	भूमिस्वामी	80/5	0.04	0.04	0.00	
78		भूमिस्वामी	82	0.73	0.51	0.22	

	गौतम पिता रामचरन गुलाबरानी वेवा रामचरन विमलाबाई नस्थीबाई पुत्री रामचरन	भूमिस्वामी	90	0.55	0.14	0.41	
79	भगवानदास पिता नंदू रैकवार 1/5 भाग, श्रीकृष्ण पिता नंदू 1/5, रामचंद पिता नंदू 1/5 भागबाई पिता नंदू 1/5, सुनीतारानी वेवा गौरीशंकर 1/15, संदीप पिता गौरीशंकर 1/15, करस्तूरीबाई पिता गौरीशंकर 1/15 भाग	भूमिस्वामी	83	0.81	0.73	0.08	
80	लुडकीबाई वेवा नंदराम	भूमिस्वामी	86	0.70	0.49	0.21	
81	चन्द्ररानी वेवा नन्हू राजू उर्फ राजकुमार सीताराम पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/1	0.02	0.00	0.02	
82	सीताराम पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/2	0.80	0.08	0.72	
83	राजू उर्फ राजकुमार पिता नन्हू	भूमिस्वामी	87/3	0.46	0.05	0.41	
84	बाबूलाल पि. दलसींग	भूमिस्वामी	92	1.05	0.74	0.37	
85	परखोत्तम दुर्गा पिस. झगड़	भूमिस्वामी	93	1.30	0.07	1.23	
86	परमलाल पिता मंगल	भूमिस्वामी	102/1	0.80	0.40	0.40	
		भूमिस्वामी	102/6	0.80	0.80	0.00	
87	दामोदर पिता दरई	भूमिस्वामी	102/2	0.80	0.80	0.00	
88	सूरजरानी पति मर्दनसींग	भूमिस्वामी	102/3	0.50	0.50	0.00	
89	तोड़ल पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	102/4	0.60	0.60	0.00	
90	सोहन पुत्र कनई	भूमिस्वामी	102/5	0.47	0.47	0.00	
91	प्रतिभा पिता जयप्रकाश	भूमिस्वामी	110/2	0.08	0.08	0.00	
92	रमारानी वेवा जयप्रकाश संदीप पिता जयप्रकाश	भूमिस्वामी	111/1	3.27	3.27	0.00	
		भूमिस्वामी	112	1.11	1.11	0.00	
		भूमिस्वामी	110/1	0.80	0.80	0.00	
93	राजेन्द्रकुमार पिता रामशरण	भूमिस्वामी	113	0.55	0.55	0.00	
		भूमिस्वामी	114	2.28	2.28	0.00	
		भूमिस्वामी	115	2.33	2.33	0.00	
		भूमिस्वामी	116	0.50	0.50	0.00	
		भूमिस्वामी	111/2	0.40	0.40	0.00	
94	अतुलकुमार पिता घनश्यामदास	भूमिस्वामी	117/1	0.35	0.35	0.00	
		भूमिस्वामी	120/2	0.84	0.84	0.00	

95	संतराम वल्ड लक्ष्मन	भूमिस्वामी	117/2	1.35	1.35	0.00	
96	टीकाराम पिता रामदास	भूमिस्वामी	117/3	0.82	0.82	0.00	
97.	सुहागरानी पति रामप्रसाद.	भूमिस्वामी	117/4	0.80	0.80	0.00	
98	हल्लोभाई पिता कमोदी	भूमिस्वामी	118/1	0.76	0.76	0.00	
99	किशोरीलाल वल्ड धनीराम	भूमिस्वामी	118/2	0.38	0.38	0.00	
100	मुन्ना पिता मनप्यारे	भूमिस्वामी	119	0.37	0.37	0.00	
		भूमिस्वामी	120/3/2	0.05	0.05	0.00	
101	लक्ष्मन पिता पंचे	भूमिस्वामी	120/1	0.84	0.84	0.00	
102	काशीरामपाल पिता मख्खी	भूमिस्वामी	120/3/1	0.42	0.42	0.00	
103	रूपसिंग वल्ड छिमाधर	भूमिस्वामी	121/2	0.69	0.69	0.00	
104	सीतारानी पति रज्जन	भूमिस्वामी	122/1	0.54	0.54	0.00	
105	संतोषरानी पति सुदामा	भूमिस्वामी	122/2	0.53	0.53	0.00	
106	मगन पिता नत्था	भूमिस्वामी	124	1.33	1.33	0.00	
107	नरेश पिता धनीराम 1/4 भाग हल्कू पिता धनीराम 1/4, किशोरी पुत्री धनीराम 1/4, ब्रजरानी वेदा धनीराम 1/4 भाग	भूमिस्वामी	125/1	0.17	0.17	0.00	
		भूमिस्वामी	126/2	0.64	0.64	0.00	
108	न्नूराम पिता जमना प्रसाद	भूमिस्वामी	125/2	0.66	0.66	0.00	
		भूमिस्वामी	126/1	0.66	0.66	0.00	
		भूमिस्वामी	123	0.32	0.32	0.00	
109	कच्छेदी पिता कलू	भूमिस्वामी	127/2	0.80	0.80	0.00	
		भूमिस्वामी	127/4	0.60	0.60	0.00	
		भूमिस्वामी	127/5	0.60	0.60	0.00	
		भूमिस्वामी	127/6	0.57	0.57	0.00	
		भूमिस्वामी	130	0.80	0.80	0.00	
110	लक्ष्मन पिता हरीअठया	भूमिस्वामी	128	1.10	1.10	0.00	
		भूमिस्वामी	129	2.94	2.94	0.00	
111	शंकर पिता कलू	भूमिस्वामी	132/1	0.17	0.17	0.00	
		भूमिस्वामी	133/1	0.40	0.40	0.00	
112	संध्यारानी पति किशुन	भूमिस्वामी	127/3	0.80	0.80	0.00	
113	ज्वाहर पिता अमू	भूमिस्वामी	132/2	0.60	0.60	0.00	
114	करेमल पिता पुसज्ज	भूमिस्वामी	132/3	0.60	0.60	0.00	
115	छोपती पति प्यारेलाल	भूमिस्वामी	107/10	0.50	0.03	0.48	
116	चंद्ररानी पति प्रहलाद	भूमिस्वामी	107/11	0.80	0.08	0.72	
117	राधारानी पति नंदलाल	भूमिस्वामी	107/8	0.50	0.25	0.25	
	योग		204	136.04	120.23	15.81	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका भव्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्म श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए एक अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

सागर के निदेशन में काय प्रकाशन की अधिसूचना क्र.-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.10.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

कार्य पूर्ण करेगे। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-22- अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8933

सागर, दिनांक 21 अक्टूबर 2022

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1)	परियोजना का नाम	:	आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	आपचंद
4.	पट. ह. नं.-	:	109
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	219.68

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					क्र.	अ.क्र.	भ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धीरज सोंग पिता भागीरथ	भूमिस्वामी	247/1	0.87	0.87	0.00	0.00	कुओं पद्धति-1 सवबनल-10,गुरार-3,हड्डां-3,रेजा-2
			247/3	0.4	0.4	0.00	0.00	रेजा-2,गुरार-1
			252	0.96	0.96	0.00	0.00	सुधूल-1
2	इमरतरानी बेवा ठाकुरदास संगीता भीमा सुनीता संघ्या चंद्रभान रविन्द्र पिता ठाकुरदास	भूमिस्वामी	409/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पद्धति-1 बेरो-2,कोहा-3,नीम-1
			421	0.3	0.30	0.00	0.00	नीम-1
			423	0.68	0.68	0.00	0.00	
3	धीरज सोंग पिता नारायण सिंह	भूमिस्वामी	491/2	0.12	0.12	0.00	0.00	बबूल-4,सोयदूल-10
			488/1	0.35	0.35	0.00	0.00	सेमर-3,रेजा-1
			488/2	0.23	0.23	0.00	0.00	रेजा-3
4	रूपसोंग पिता अर्जुनसोंग	भूमिस्वामी	506	0.54	0.54	0.00	0.00	
5	घनश्याम पिता परसादी शकुनबाई पति घनश्याम	भूमिस्वामी	888/3	0.67	0.67	0.00	0.00	
6	खुमान पिता कलू साहित्री पति खुमान	भूमिस्वामी	882/5	0.28	0.28	0.00	0.00	रेजा-1
7		भूमिस्वामी	824	0.42	0.42	0.00	0.00	

	द्वारका पिता अनंत सींग चंदानी पति द्वारका		833	0.50	0.5	0.00	0.00	
8	इंद्राज पिता रंजीत सींग	भूमिस्वामी	753	0.67	0.67	0.00	0.00	कुओं पक्का—1
9	बबलू पिता कूरा विद्याबाई पति बबलू	भूमिस्वामी	864/3	1.00	0.85	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब
10	तखत पिता बुक्खे रेवारानी पति तखत	भूमिस्वामी	864/4	0.74	0.74	0.00	0.00	तालाब
11	भानीश्वर पिता भगुन्ती	भूमिस्वामी	864/5	0.74	0.74	0.00	0.00	
12	मोती पिता खंजा रामकली पति मोती	भूमिस्वामी	864/6	0.74	0.74	0.00	0.00	
13	कमलेश पिता खन्जा ललताबाई पति कमलेश	भूमिस्वामी	864/7	0.74	0.74	0.00	0.00	
14	खुमान पिता कलू सावित्री पति खुमान	भूमिस्वामी	864/8	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	अमन निशा पिता सुमरन सिंह 1/4 महेंद्र सिंह पिता इमरत सिंह 1/4 प्रथम सिंह पिता इमरत सिंह 1/4 पार्वती बेवा इमरत सिंह 1/4	भूमिस्वामी	254	0.96	0.28	0.00	0.00	रेजा—3, गुरार—4, चिरहोल—1, कसई—1
			509/1	0.95	0.95	0.00	0.00	कुओं कच्छा, बेरी—1, गुरार—2, रेजा—2, सोबबूल—8
			512/1+5 12/2	1.55	1.55	0.00	0.00	कुओं कच्छा, रेजा—1, सोबबूल—3
			511/2	0.06	0.04	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी—20, साज—1, उमर—2 मडुआ—2, गुरार—5
16	राधवेन्द्र रूपेन्द्र पिता कपन कुसुमरानी पति कपन कुसुमरानी शिवम नावा, पिता धर्मेन्द्र कमलेशरानी बेवा धर्मेन्द्र	भूमिस्वामी	511/1	0.78	0.63	0.00	0.00	कुओं पक्का गुरार—2, बेरी—15
17	इन्द्राजसींग पिता कल्यानसींग मनसा पिता कल्यानसींग साधना पिता कल्यानसींग शीलरानी बेवा कल्यानसींग	भूमिस्वामी	246	0.22	0.22	0.00	0.00	
			248	0.51	0.51	0.00	0.00	बमूरा—3
			249	1.5	0.25	0.00	0.00	बमूरा—2
			250	0.48	0.48	0.00	0.00	कुओं पक्का, सोमर—1, बमूरा—1
18	बबलू बालचंद गुर्दी पिता भबूदा शजलकमारी पिता भबूदा मनवाई बेवा भबूदा झुमना नावा पिता लघमन फूलाबाई बेवा लघमन	भूमिस्वामी	505	0.86	0.86	0.00	0.00	कुओं पक्का
			856	0.15	0.15	0.00	0.00	
19	प्रदीप पि. लक्ष्मीकांत पांडे	भूमिस्वामी	240/2	0.05	0.05	0.00	0.00	
			244/2	0.25	0.25	0.00	0.00	
20	कृपन इन्दुर पिता काशीराम गजरानी बेवा काशीराम	भूमिस्वामी	825/1	0.93	0.93	0.00	0.00	कुओं पक्का—1, वास भिरा—5
21	बीरन गोविंद सरस्वती छितिया उर्फ सीता कुंतीबाई कलीबाई हीराबाई पि.अनंदी	भूमिस्वामी	392/1/1/ 1/1	0.84	0.05	0.00	0.00	कुओं पक्का
22	कमलेश पि. दुलिचंद पटेल	भूमिस्वामी	392/1/1/ 1/2	0.08	0.08	0.00	0.00	
	कमलेश पि. दुलिचंद पटेल	भूमिस्वामी	392/1/1/ 2	0.1	0.10	0.00	0.00	
	कमलेश पि. दुलिचंद पटेल	भूमिस्वामी	392/1/2	0.1	0.10	0.00	0.00	
	कमलेश पि. दुलिचंद पटेल	भूमिस्वामी	392/2	0.19	0.19	0.00	0.00	
23	कमला पिता रणवर मिहीलाल खुबी पिता लीलाधर धर्मदास पिता बबलू रामेश्वर चौदा पिता दम्म हुकमसींग मदनसींग पिता बादलसींग नर्मदाबाई पुनाबाई पिता बादलसींग	भूमिस्वामी	880	1.98	1.98	0.00	0.00	कुओं पक्का—1, रेजा—2, गुरार—1
			895	0.15	0.15	0.00	0.00	
24	बाबूलाल ब गणेश	भूमिस्वामी	821	0.78	0.31	0.00	0.00	

25	કમલેશ પિ. આલમ હલ્લુ પિ. આલમ મીરાબાઈ પતિ ભોપત પવન અજેન્ડ પિ મોપત	ભૂમિસ્વામી	438	0.67	0.67	0.00	0.00	કુઝો પવચા-1, સેમર-1
26	કમલેશ પિતા વલ્દેવ	ભૂમિસ્વામી	738/2	0.50	0.50	0.00	0.00	સાગોન-1, બમૂરા-1
27	કીર્તિ બેવા મહરાજસીંગ	ભૂમિસ્વામી	865	0.78	0.78	0.00	0.00	
28	પ્રથમ સિંહ પિતા ઇમરત સિંહ	ભૂમિસ્વામી	509/2	0.80	0.80	0.00	0.00	સુબુલ-2, રેઝા-2, ઘમરા-1
29	કમલેશ પિ. દુલિંદુ પટૈલ	ભૂમિસ્વામી	415	0.51	0.00	0.51	0.00	સુબુલ-5, રેઝા-1, ગંરાર-1
			417/2	0.93	0.00	0.93	0.00	
			417/4	0.92	0.00	0.92	0.00	
			417/1	0.23	0.00	0.23	0.00	
30	વિકાશ પિ. સુરેન્દ્ર જૈન	ભૂમિસ્વામી	417/5	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/6	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/7	0.23	0.00	0.23	0.00	
			417/8	0.46	0.00	0.16	0.00	
31	પુર્ણેન્દ્ર પિ. દુલિંદુ પટૈલ	ભૂમિસ્વામી	407	0.81	0.00	0.67	0.00	સાગોન-3, સીસમ-1, અમરદ-1, કોહા-1, નીમ-1
			412/1	0.70	0.70	0.00	0.00	ઢૌર-4, ગુરાર-1
32	કમલા પિતા રાગવર મિહીલાલ લીલાધર પાનવાઈ પિતા ફુલુ બૃજરાની બેવા ફુલુ નંદલાલ પિતા લચ્છમન રાગવીર નંદરામ હમીર પિતા દમ્ભુ શાતિયાઈ વૈનીબાઈ તુલસીયાઈ કોશાબાઈ પિતા દમ્ભુ નન્દુ જવાર પિતા બળે હલ્લી બેવા બલ્લે રામેશ્વર ચૌદે વાદમ સિંહ ગજરાજ પિતા ભુજબલ રામેશ્વર ચૌદે વાદમ પિતા દમ્ભુ ગોકલ પિતા રતીરામ	ભૂમિસ્વામી	889	1.23	1.23	0.00	0.00	મહુઆ-3, આમ-1, વેલ-1
33	મનવાનસીંગ માનર્સીંગ વા કલ નાવા પિતા આર્જુનસીંગ સાવિતા પિતા આર્જુનસીંગ વલી ભાઇ ભગવાનસીંગ	ભૂમિસ્વામી	242/2	0.13	0.10	0.00	0.00	કુઝો પવચા, ગુરાર-2
34	કીર્તિ પતિ રાજેન્દ્ર આદિત્ય આર્યમ પિતા રાજેન્દ્ર કુમાર સા. દમોહ	ભૂમિસ્વામી	242/3	0.13	0.00	0.10	0.00	સુબુલ-1
35	કપૂરીબાઈ પિતા ખિલાન	ભૂમિસ્વામી	515/1	0.75	0.75	0.00	0.00	રેઝા-4, ઘમરા-2, સુબુલ-1, યૂકોલિપટિસ-2
			516/1	0.13	0.13	0.00	0.00	રેઝા-1, સાગોન-2
			517/1	1.3	0.27	0.00	0.00	રેઝા-1, ઘમરા-1
36	સૂરત રાજેશ અરવિંદ પિ. જાગવહાદુર		515/2	0.75	0.75	0.00	0.00	કુઝો પવચા, સુબુલ-5
			516/2	0.13	0.13	0.00	0.00	રેઝા-1
37	કુંઘરસીંગ વિજય સિંહ પિતા હરપ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	755	1.05	1.05	0.00	0.00	કુઝો પવચા
38	સૂરતસીંગ પિતા રાધે	ભૂમિસ્વામી	404/2	1.98	0.16	0.00	0.00	
39	કોમલ પિ. રાધે		464	0.42	0.42	0.00	0.00	અમરદ-2, બેરી-5, વેલ-1, નીમ-1, સુબુલ-1, યૂકોલિપટિસ-1
			465	0.74	0.74	0.00	0.00	સુબુલ-2
			467/1	0.52	0.52	0.00	0.00	કુઝો પવચા-1 બેરી-3
			905/1	0.12	0.12	0.00	0.00	ચિરોલ-1
			918	0.17	0.17	0.00	0.00	
40	કન્ફૈયાલાલ પિતા ગૌરીશાકર	ભૂમિસ્વામી	442	0.61	0.61	0.00	0.00	
			848	0.05	0.05	0.00	0.00	

				504	0.4	0.4	0.00	0.00	कुओं पक्क
40	कलू पिता ठलू	भूमिस्वामी		787	0.61	0.61	0.00	0.00	कुओं पक्क-1,गारा मिरा-2, यूकेलिपटिस-6, महानीम-1
				957	0.03	0.00	0.03	0.00	
42	राजसिंह पिता राजेन्द्र रेखा किरन अर्चना कल्पना प्रीती पिता राजेन्द्र अशोकरानी बेवा राजेन्द्रसींग	भूमिस्वामी		13	1.21	0.33	0.00	0.00	यूकेलिपटिस-1,रेजा-2,सुबबूल-3,दैस मिरा-2,सुबबूल-9,रेजा-2,बमूरा-2
				463	0.52	0.52	0.00	0.00	
				873	0.19	0.19	0.00	0.00	
44	भैंदिर श्री परमहंश स्वामी जी गुफा भैंदिर महत्तमकार रामाधार दास पि. उदयशान पाठक चेला जमना दास प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी		446	0.98	0.98	0.00	0.00	बमूरा-1, गुरार-1
				456	0.63	0.63	0.00	0.00	
				762	0.63	0.63	0.00	0.00	सुबबूल-2
45	मीरा पति दुलिचंद पट्टैल	भूमिस्वामी		406	0.81	0.12	0.00	0.00	
				413	1.52	0.00		1.52	बबूल-1
				417/3	0.46	0.00		0.26	
46	खिलान पिता जवाहर	भूमिस्वामी	882/3	0.74	0.74	0.00	0.00		आँवला-10,अमरुद-1,रेजा-1
47	ममता पति राजू	भूमिस्वामी	827	0.69	0.69	0.00	0.00		बहेडा-1, महुआ-1, सुबबूल-1
48	महेन्द्र पिता फेरन सिंह	भूमिस्वामी	497	0.58	0.58	0.00	0.00		
			929/1	0.72	0.72	0.00	0.00		चिरोल-1
49	महादेव पिता अनंतसींग उमारानी पति महादेव	भूमिस्वामी	883/2	0.84	0.84	0.00	0.00		
50	मोहन पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/1	0.27	0.27	0.00	0.00		
			876/6	0.40	0.40	0.00	0.00		
51	मुला खुम्मा उमेदी पिता माहनसींग लेखनसींग पि उमेदी कमल हनमत कल्यान नीलेश शाति आरती पि लेखनसींग सियारानी बेवा लेखनसींग	भूमिस्वामी	903	0.28	0.28	0.00	0.00		कुओं पक्क,यूकेलिपटिस-1
52	मिट्टू पिता रतन सुषमा बेवा रतन राजू पिता साथू खुबसींग पिता मुना चिन्की बाई चैनावाई पिता मुल्ला रामकली जनका श्यामदाई पिता बदुआ देवी अशोक प्रेमसींग हल्ले सधावती दशोदा वा रामसींग जितेन्द्र लक्ष्मी नावा पिता तरवत मीनारानी बेवा तरवर	भूमिस्वामी	798	1.09	0.03	0.00	0.00		
53	प्रियंका पति मंगल सिंह	भूमिस्वामी	427/2	0.4	0.4	0.00	0.00		सागोन-2, साबबूल-3,रेजा-1
54	मोहन पिता नथ्य सींग	भूमिस्वामी	799	0.64	0.32	0.00	0.00		आँवला-3,बैरी-1
			801	0.67	0.67	0.00	0.00		सागोन-3,सुबबूल-1,रसतला-1
55	शिल्प राजू तांतू कमलेश किस्सू पिता गोरेलाल शकुन पिता गोरेलाल गंगा पिता दलू ग्यावाई बेवा दलू शीलरानी बेवा मुना दरारिया वारी बेवा गोरेलाल सरस्वती पिता आलम शिवरानी बेवा	भूमिस्वामी	741/1	0.37	0.20	0.00	0.00		

	आलम सिलोचना उर्फ सामरती पति रंजीत								
56	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश ना.बा. ममता भारती रानी वा. पि. नन्दराम बली य खुद मौं लीलाबाई बेवा नन्दराम	भूमिस्वामी	741/2	1.38	0.75	0.00	0.00		179
57	शिव्यू राजू तातू कमलेश किस्सू पिता गोरेलाल शकुन पिता गोरेलाल गंगा उर्फ गंधर्व पिता दलू ग्याबाई बेवा दलू शीलरानी बेवा मुना दरारिया वारी बेवा गोरेलाल सरखती पिता आलम सिलोचना उर्फ सामरती पति रंजीत, लखन तुलसी ताराचन्द केलाश मीरा ममता भारती रानी व नन्दराम लीलाबाई	भूमिस्वामी	742/1 742/2 742/3	0.35 1.39 0.40	0.61	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
58	सिलोचना पति रंजीत सिंह	भूमिस्वामी	485	0.56	0.56	0.00	0.00		समर-1
59	शिव्यू राजू तातू कमलेश पिता गोरेलाल सकुन पिता गोरेलाल गंधा पिता दलू ग्याबाई बेवा दलू सुनीता पति किस्सू कल्पना पिता किस्सू शीलरानी बेवा मुना सरखती पिता आलम	भूमिस्वामी	928	0.74	0.74	0.00	0.00		
60	विजयसींग पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	262	2.23	2.03	0.00	0.00		नलकृष्ण-1, बगूरा-1, रेजा-2, गुरार-6, कांजी-1, नीम-1, सुबदूल-1, समर-1, यूफोलिपटिस-2
61	विन्द्रावन पिता रघुनाथ	भूमिस्वामी	750/106 7	0.61	0.61	0.00	0.00		
			916	0.82	0.82	0.00	0.00		कुओं पक्का अमरुद-10, आम-2,
62	गिरजाबाई पति भगोले	भूमिस्वामी	433	1.21	1.21	0.00	0.00		कुओं पक्का यूफोलिपटिस-1, सोबदूल-10, रेजा-4, गुरार-1, चिरहाल-4, तागोन-10, रीताम-1, बेरी-5
63	हीराबाई बेवा रामप्रसाद	भूमिस्वामी	896	0.13	0.13	0.00	0.00		कुओं पक्का
			899	0.04	0.04	0.00	0.00		घमरा-1
			901	0.13	0.13	0.00	0.00		घमरा-1, विरोल-1
64	विश्नु पिता शोभालाल	भूमिस्वामी	459	0.62	0.62	0.00	0.00		4 आम (6 पीछ), 10 अमरुद, 2 जामुन 4 निनू (3 पीछ), सोबदूल-21, रेजा-3, समर-1
			461/1	0.08	0.08	0.00	0.00		सुबदूल-7, नीम-1, सागोन-1
65	कमलरानी बेवा अर्जुन गिल्लू हल्कू पिता अर्जुन हीरा निरपत जवाहर नारान निरपत लोकनन रतीराम पिता प्राणसींग बत्तो पिता प्राणसींग नन्दभाई पिता जवाहर फूलरानी बेवा जवाहर गाखन रामअवतार पिता नारान मनकुमान बेवा नारान कल्लोबाई बेवा	भूमिस्वामी	435	1.21	1.21	0.00	0.00		कुओं पक्का-1, बबूल-2, गुरार-1, चिरहाल-2
			906	0.10	0.00	0.10	0.00		

	निरपत मायारानी .बिहारी बंसी गोविंद बीरेन्द्र बीरींग पि. निरपत							
66	गिरजेश पिता खुबसींग सुखको पति खुबसींग	भूमिस्वामी	783	1.25	1.25	0.00	0.00	कुओं पक्का-1,बास मिरा-3, बहेरा-1, सागोन-2
			862	.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का-1,गुरार-1, सेमर-1, बहेरा-1, गहुआ-1
67	हीरा रगवीर संतोष बंदू राजकुमार पिता दयाराम सुहागरानी बेवा दयाराम	भूमिस्वामी	476/2	1.03	1.03	0.00	0.00	कुओं पक्का
68	हुकमरानी पति विजय सिंह	भूमिस्वामी	260	1.11	1.11	0.00	0.00	कुओं पक्का, गुरार-5,खैर-2,रेजा-2,नीम-5, सुबबूल-4,सागोन-26,गुजा-1,शीराम-2
69	मुरलीधर पि. बारेलाल दीरेन्द्र महेश नावा पिता महराजसींग संद्या नावा पिता महराज सींग बली व खुद मां कॉटीवाई बेवा महराजसींग	भूमिस्वामी	499	1.07	1.07	0.00	0.00	
70	हंसी बेवा आलम मोपत हल्कू कमलेश पिता आलम डुमना पिता लंधमन राजराज पिता ठल	भूमिस्वामी	500	2.08	2.08	0.00	0.00	
			585	1.00	1.00	0.00	0.00	
71	भगवानसींग पिता अर्जुन सींग	भूमिस्वामी	496/2	0.57	0.57	0.00	0.00	कुओं पक्का-1रेजा-5
			503	0.72	0.72	0.00	0.00	
72	हल्लेमाई पि.विष्णु	भूमिस्वामी	462	1.21	1.21	0.00	0.00	सुबबूल-63,बमू-4,गुरार-1
73	भरत मजबूत रामकिशन पिता गोकल शीला चन्ना सीता पिता गोकल	भूमिस्वामी	770	2.5	2.18	0.00	0.00	कुओं पक्का अमरुद-10,ओवला-1,
			922	0.04	0.00	0.04	0.00	
			923	0.04	0.00	0.04	0.00	
74	भबूते पिता मिट्टू कल्लो पिता मिट्टू परम नंदराम दीरसींग पिता मिट्टू मुनी सुकवती पिता मिट्टू तियारानी बेवा मिट्टू	भूमिस्वामी	17	0.80	0.15	0.00	0.00	कुओं पक्का ओवला-1,भेरी-2,सोबबूल-5
75	भगवानसींग मानसींग वा कलू नावा पिता अर्जुनसींग संदिता पिता अर्जुनसींग बली भाई भगवानसींग	भूमिस्वामी	582	0.84	0.34	0.00	0.00	
			247/2	2.13	0.86	0.00	0.00	सेमर-1,गुरार-1
76	मालू पिता परसादी प्रेमबाई पति भालू	भूमिस्वामी	832/2	0.69	0.69	0.00	0.00	
77	भूपेन्द्रकुमार पिता हल्काई	भूमिस्वामी	800	0.57	0.57	0.00	0.00	निंदू-3,मुनगा-1,लसल्ला-1
78	भगवानसींग पि हरप्रसाद	भूमिस्वामी	411/3/2	0.54	0.54	0.00	0.00	कुओं पक्का , नलकूप बमू-2,सुबबूल-2
			420	0.34	0.34	0.00	0.00	कंजी-1,सागोन-2
			422/1	0.13	0.13	0.00	0.00	
			484/3	0.44	0.44	0.00	0.00	सागोन-3, बास मिरा-1, गुरार-2, सुबबूल-5, खैर-2
79	भगोले पि. लाड.ले नहेलाल पि. कूरे	भूमिस्वामी	491/3	0.01	0.01	0.00	0.00	
80	परमलाल पिता कूरे	भूमिस्वामी	445/2	0.4	0.40	0.00	0.00	सागोन-2, सुबबूल-6
			447/2	0.34	0.34	0.00	0.00	रेजा-1
81	रामचरन अनंतराम रामदास राणावाई सविता लीलावती प्रेमबाई पिता परसाराम	भूमिस्वामी	819	0.32	0.02	0.00	0.00	
82	प्रेमबाई पति कूरे	भूमिस्वामी	430	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का भौत विरा-1,सेमर-2,बमू-1,नीम-1

83	पूनावाई पिता रामसींग	भूमिस्वामी	875	2.02	2.02	0.00	0.00	कुओं पक्का
84	पंचे बेवा बदनसींग सूरजबाई बैजंती पिता बदनसींग	भूमिस्वामी	860	0.43	0.43	0.00	0.00	
			886/1	0.76	0.76	0.00	0.00	
85	गोपाल रामखलेप ममता पिता परगलाल इमरती पत्नि ठाकुरदास चंद्रपान रवेन्द्र संघा सुनिता संगीता सीमा पिता ठाकुरदास गेंदा बाई बेवा परखेत्तम रामअवतार रामभिलन चंदना प्रियंका पिता परशोल्टभ	भूमिस्वामी	408/1	0.55	0.55	0.00	0.00	सुबबूल-8, खमूरा-2, गुरार-1, यूकेलिपटिस-1
			410/1	0.32	0.32	0.00	0.00	
			484/1	0.70	0.70	0.00	0.00	कुओं पक्का, नलकृष्ण सुबबूल-2, कर्जी-1, दहोड़ा-1, करसई-1, वॉस विरा-1, रेजा-2
86	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/1	0.32	0.3	0.00	0.00	अमरुद 5,
			766/3	1.06	1.06	0.00	0.00	
87	लखन पिसठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/1	0.08	0.08	0.00	0.00	
88	लखन प्रकाश दशरथ पिसठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/2	0.03	0.03	0.00	0.00	आम 2, वॉस 1 बबूल 20
89	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/3	0.47	0.47	0.00	0.00	आम 2, कटहल 1, अमरुद 2
90	लखन पिठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/4	0.48	0.48	0.00	0.00	
91	लखन प्रकाश दशरथ पिसठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/5	0.01	0.01	0.00	0.00	कुओं पक्का ,
92	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	767/6	0.14	0.07	0.00	0.00	
93	लखन पिठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/1	0.07	0.07	0.00	0.00	यूकेलिपटिस 7, बबूल 13, बेरी 2
94	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/2	0.66	0.02	0.00	0.00	निवू 2, शीताफल 1, गुरार-1, सुबबूल-7
95	प्रकाश पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/3	0.2	0.2	0.00	0.00	
96	लखन पिठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/4	0.2	0.2	0.00	0.00	आम 1
97	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/5	0.2	0.2	0.00	0.00	निवू 2, शीताफल 1, सुबबूल-8, बास निरा-2
98	लखन प्रकाश दशरथ पिसठ गोरेलाल	भूमिस्वामी	768/6	0.01	0.01	0.00	0.00	कुओं पक्का ,
99	प्रह्लाद सींग पिता धीरज सींग	भूमिस्वामी	487	0.08	0.08	0.00	0.00	खेर-3, बबूल-3, सुबबूल-48
			490	0.04	0.04	0.00	0.00	सुबबूल-10, गुरार-2
			496/1	1.33	1.33	0.00	0.00	कुओं कच्चा
100	प्रह्लाद पि उत्तम	भूमिस्वामी	914	0.15	0.15	0.00	0.00	कुमी-1
101	प्रमा पति भगवान सींग	भूमिस्वामी	493	0.55	0.55	0.00	0.00	आम-1, बेरी-1
102	पूमबाई आरती पिता भगवानदास राजरानी बेवा धनसींग	भूमिस्वामी	416	1.52	1.52	0.00	0.00	गुरार-1, रसतला-1, रेजा-1
			907	0.10	0.10	0.00	0.00	
103	रमेश पिता ब्रजलाल राजीवाई पुनी गदोले	भूमिस्वामी	240/1	0.05	0.05	0.00	0.00	बेरी-2
			244/1	0.26	0.26	0.00	0.00	कुओं पक्का, मकान कच्चा (40'30) बेरी-2
104	प्रभुदयल पिता विष्णु	भूमिस्वामी	460	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का, सुबबूल-21
105	रंजीत सींग पिता मल्हू सींग	भूमिस्वामी	492/1	0.41	0.41	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब, सुबबूल-15, बबूल-4
106	रमेश मर्हन्द निर्भय राजेन्द्र पिता मानकलाल पानबाई बेवा मानकलाल गुरुडी सुशीला जोरा पिता मानकलाल सतलूप सुनील पिता शेरसींग	भूमिस्वामी	439	0.10	0.10	0.00	0.00	सागोन-13
			457	1.51	1.51	0.00	0.00	

107	रमेश महेन्द्र निर्भय राजेन्द्र गुडडी सुशीला गोरा पिता मानकलाल सतरूप सुनील विनोद सुनील रजनी संगीती सपना आशारानी पिता शेरसेह	भूमिस्वामी	471	1.17	1.17	0.00	0.00	
108	रमेश भोजन निर्भय राजेन्द्र पिता मानकलाल सतनाम दाशरथींग पिता नारायण सींग पानबाई बेवा मानकलाल गुडडी सुशीला गोरा पिता मानक सतरूप पि. शेरसेह	भूमिस्वामी	455/2	1.32	1.32	0.00	0.00	महुआ-2, बेरी-4, तालाब
			782	0.50	0.50	0.00	0.00	सुबबूल-11, बमूरा-1, गुरार-2, चिहोल-1
			789/2	0.26	0.26	0.00	0.00	सोबबूल-1
109	श्रीबाई बेवा लालसींग राधारानी बेवा घनसींग अमरसींग छोटू नामा पिता लालसींग अजोबाई पिता लालसींग पा मां व खुद श्रीबाई बेवा लालसींग जाहर नाबा पिता तुलसीराम पा व खुद मां श्रीबाई बेवा तुलसीराम	भूमिस्वामी	887	2.06	2.06	0.00	0.00	कुओं पक्का
110	श्रीबाई बेवा तुलसीराम	भूमिस्वामी	261	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का, सुबबूल-4, रेजा-1, गुरार-3, खेड़ी-1, गुजारी-1
111	राधवेन्द्र रुपेन्द्र पिता कपन कुसुमरानी पति कपन कुसुमरानी शिवम नाबा, पिता धर्मेन्द्र कमलेशरानी बेवा धर्मेन्द्र	भूमिस्वामी	253	0.96	0.96	0.00	0.00	कुओं पक्का, रेजा-2, सेमर-1, गुरार-3, कंजी-2, खेर-1, रसतला-1, सुबबूल-1
			509/3	0.15	0.15	0.00	0.00	सुबबूल-3, घमरा-1
			510	0.83	0.83	0.00	0.00	सुबबूल-4
- 112	अमरेंद्र सिंह योगेन्द्र सिंह पि. रामकण्ण	भूमिस्वामी	427/1	1.18	1	0.00	0.00	
113	अमरेंद्र सिंह योगेन्द्र सिंह नंदनी पि. रामकण्ण बेबीबाई पि. रामकण्ण	भूमिस्वामी	450/2	1.12	1.12	0.00	0.00	गुरार-1, कंसद-1, चंगर-2, बमूरा-2 रेजा-1, खेड़ी-6, सुबबूल-1
			426/5	0.42	0.42	0.00	0.00	गुरार-1, सुबबूल-3, सागोन-1
114	प्रथ्यौ सिंह पि. अमर सिंह	भूमिस्वामी	426/2	0.42	0.19	0.00	0.00	
115	अमरेंद्र सिंह योगेन्द्र सिंह पि. रामकण्ण		426/1	0.54	0.54	0.00	0.00	सूबबूल-1
116	रामकिशन बल्द हरप्रसाद	भूमिस्वामी	484/2	0.43	0.43	0.00	0.00	सुबबूल-3, बांस विरा-4, गुरार-1
117	राममिलन पिता कामताप्रसाद	भूमिस्वामी	428	0.71	0.71	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			440/2	0.28	0.28	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			443	0.4	0.4	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, सेमर-1, बमूरा-1, महानीम-1, गुरार-1, सुबबूल-9
			444	0.19	0.19	0.00	0.00	
			445/1	0.92	0.92	0.00	0.00	सेमर-1, गुरार-2, सागोन-2, सुबबूल-18, बमूरा-2
118	राममिलन राजेश्वरी जयश्री विन्देश्वरी राजामाला राजबिधा उर्फ नीतू पिता कामता प्रसाद	भूमिस्वामी	440/1	0.59	0.59	0.00	0.00	नलकूप-1, ओवला-2, बेरी-3
119	देवीसींग अशोक प्रेमसींग हल्केमाई रामसींग जितेन्द्र पि. तखर सत्यवती लक्ष्मी दशोदा पुत्री तरवर भीनारानी बेवा तरवर राजू परसोल्तम पिता साधुराम	भूमिस्वामी	830	1.8	1.8	0.00	0.00	अमरुद-4, आम-6
120	लक्ष्मी पति कमोद सिंह बेबी पति मनोहर	भूमिस्वामी	831	2.41	2.41	0.00	0.00	

121	रामरानी पति महोप सोंग	भूमिस्वामी	867	0.87	0.87	0.00	0.00	
122	धनिराम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	429	0.53	0.53	0.00	0.00	कुओं पक्का , बैरी-१, सागोन-३, शीशम-१
			475/2	0.53	0.53	0.00	0.00	कुओं पक्का .
			760	0.24	0.24	0.00	0.00	
123	राजेन्द्र पिता शिवमंगल	भूमिस्वामी	458/1/1	0.56	0.45	0.00	0.00	
124	मायांस्वामी पत्नि रामाधार	भूमिस्वामी	458/1/2	0.55	0.45	0.00	0.00	कुओं पक्का .
125	रामाधार पि शिवमंगल	भूमिस्वामी	458/2	1.11	0.90	0.00	0.00	
126	राजू धीरत पिता जयाहर प्रताप सीताराम फेरन खुमारा पिता रामचरण सदारानी बेवा रामचरण श्रीबाई पिता रामचरण	भूमिस्वामी	449	0.25	0.25	0.00	0.00	
			925	0.06	0.06	0.00	0.00	
			927	0.34	0.34	0.00	0.00	
127	रगवीर नंदराम हमीर पिता दम्मू शांति कौशा बेवी भगवी तुलसा पिता दम्मू	भूमिस्वामी	263	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का गुरार-१, रेजा-१
128	रगवीर पिता वारेलाल	भूमिस्वामी	241	0.34	0.34	0.00	0.00	बमू-३, रेजा-२, सेमर-१, सुबबूल-२
129	शांति कोमलबाई वारेलाल बड़ीबहू पिता शंकर रामकेश ना.बा.पि व पालक महेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	396	0.85	0.12	0.00	0.00	सुबबूल-१
130	शारदाबाई पति वीरेन्द्र सिंह	भूमिस्वामी	483	0.62	0.62	0.00	0.00	सुबबूल-३, बमू-२, रेजा-१
131	संतोष पिता नाथुराम	भूमिस्वामी	591	0.03	0.03	0.00	0.00	
132	सीताराम पिता रामचरण	भूमिस्वामी	837	0.87	0.08	0.00	0.00	कुओं पक्का
133	सीताराम पि प्रेम	भूमिस्वामी	411/1	1.34	1.34	0.00	0.00	सेमर-१, गुरार-१, बमू-१ ..
134	सपन जैन पि दीपचंद जैन	भूमिस्वामी	780	1.15	0.00	0.00	1.15	
			781/1	0.43	0.00	0.00	0.43	
			781/2	0.32	0.00	0.00	0.32	
			781/3	0.40	0.00	0.00	0.40	
135	सरोजबाई पति इन्द्राज सिंह	भूमिस्वामी	486	1.12	1.12	0.00	0.00	सुबबूल-१
136	सरस्वती बाई पिता आलम	भूमिस्वामी	454	0.81	0.81	0.00	0.00	रेजा-१
			473	0.71	0.71	0.00	0.00	
137	सरस्वतीबाई बेवा मोतीलाल	भूमिस्वामी	451	0.36	0.36	0.00	0.00	सागौन-१०, बमू-१
			478	0.28	0.28	0.00	0.00	
			479	1.72	1.72	0.00	0.00	
138	सोवत सोंग पिता हरीराम	भूमिस्वामी	472/2	0.66	0.66	0.00	0.00	कुओं पक्का
			786	0.60	0.60	0.00	0.00	कुओं पक्का-१, सागोन-१८, खेत-१, बास भिरा-१
139	मनमोहन संतोष सकुन चंदा गीता भीरा पिता नाथुराम	भूमिस्वामी	584	0.70	0.70	0.00	0.00	
			586	0.20	0.20	0.00	0.00	सुबबूल-४
			587/2	0.30	0.30	0.00	0.00	नलकूर-१, शीशम-१, गुरार-१
			592/5	0.58	0.58	0.00	0.00	रेजा-१
140	सुहागरानी बेवा नारायण सिंह	भूमिस्वामी	466	0.87	0.87	0.00	0.00	कुओं पक्का-१ अमरुद-१ सागोन-३, यूकेलिपटिस-१, गुरार-१, सुबबूल-४
141	सुरेश कमली विनीता लीला इयामरानी बेवा तिजई	भूमिस्वामी	829	0.72	0.72	0.00	0.00	महुआ-३
142	सत्येकन्द्र पिता रामकिशन लोधी	भूमिस्वामी	411/3/3	0.21	0.21	0.00	0.00	बमू-२
143	सतनाम पिता औंकर	भूमिस्वामी	882/4	0.74	0.74	0.00	0.00	तालाब, विरोल-२

144	सतनाम दारासिंह पि. नरान सिंग राजकुमार राजेन्द्र सिंग वालिंग जिवेन्द्र सिंग ना.बा. पि. सुलतान सींग बली व खुद मौं जानकी बाई बेवा सुलतान सींग	भूमिस्वामी	455/45	1.81	1.51	0.00	0.00	नलकूप-१ बेरी-१, तालाब
			789/1	0.27	0.27	0.00	0.00	गुरार-१,यूकेलिपटिस-१०,सागोन-१
145	सूरतसींग पिता राधे	भूमिस्वामी	467/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पक्का-१,बेरी-२,
			470	1.2	1.2	0.00	0.00	
			905/2	0.15	0.15	0.00	0.00	चिरोल-१
			909/1	0.29	0.29	0.00	0.00	
146	सूरतसींग राजेश पिता जंगबहादुर	भूमिस्वामी	514	0.59	0.59	0.00	0.00	सुबबूल-५
147	सूरज पिता कूरे	भूमिस्वामी	441	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-६,नीम-१, सोबबूल-२
148	उधमसींग पिता बहादुरसींग रामरानी बेवा बहादुरसींग	भूमिस्वामी	884	1.14	1.14	0.00	0.00	
			894	0.04	0.04	0.00	0.00	
			898	0.21	0.21	0.00	0.00	गुरार-१
149	दुमना पिता लछमन बबलू बालबंद पिता कपूरा राजकुमारी पिता भबूदा	भूमिस्वामी	474	1.46	1.46	0.00	0.00	
150	उजांगर पिता रामसिंह	भूमिस्वामी	587/1	1.45	1.45	0.00	0.00	नलकूप-१,बेरा-२, शीशम-१
151	दयाराम पि. फेरन	भूमिस्वामी	929/2	0.72	0.72	0.00	0.00	
152	दुरगसींग फेरनसींग रामकिशन सुरेश पिता छोटेलाल	भूमिस्वामी	243	1.90	0.90	0.00	0.00	कुओं कच्चा,बेरी-२
153	दुर्गा बेवा दीना रामसखी घनबत्ती बर्षा राजकुमार रामसेवक पि. दीना	भूमिस्वामी	437	0.67	0.67	0.00	0.00	
154	छत्तरसींग पिता शंकर दीपेश चंद्रभान नाबा पिता छतरसींग कीर्ति पिता छतरसींग	भूमिस्वामी	882/2	0.74	0.74	0.00	0.00	
155	देवेन्द्र पिता महराज सिंह	भूमिस्वामी	11	1.25	0.22	0.00	0.00	बहेरा-२,बॉस निरा-१,यूकेलिपटिस-१,आगौन-२
156	देवराज सिंह पिता महराज सिंह	भूमिस्वामी	12	1.25	0.25	0.00	0.00	बमूरा-२,रेजा-१,सागोन-२,बॉस निरा-१,नलकूप
157	देवेन्द्रसींग वीरेन्द्रसींग देवराजसींग राजेन्द्रसींग पिता महराज सींग	भूमिस्वामी	15	1.07	0.11	0.00	0.00	सागोन-२, बास निरा-२, सुबबूल-१०, रेजा-२, बमूरा-२
			18	0.06	0.04	0.00	0.00	सुबबूल-३,बॉस निरा-२,यूकेलिपटिस-२,रेजा-२
			19	0.95	0.47	0.00	0.00	सुबबूल-३,यूकेलिपटिस-२,सागोन-१,बॉस निरा-१
			20	3.28	1.60	0.00	0.00	रेजा-१,गुरार-४,घगरा-४,सुबबूल-७,सागोन-१,बॉस निरा-१,कराई-२,सेमर-१,कंजी-१
158	वीरन सींग पिता मल्हूसींग	भूमिस्वामी	492/2	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-१०,बबूल-८,सोबबूल-१९
159	देवेन्द्र पिता जे.पी.	भूमिस्वामी	886/2	0.85	0.85	0.00	0.00	
160	बद्री पि. शंकर	भूमिस्वामी	393	1.95	0.80	0.00	0.00	गुरार-१
161	तुलसीराम पि. हरप्रसाद	भूमिस्वामी	394	0.89	0.27	0.00	0.00	सागोन-२
			410/2	0.35	0.35	0.00	0.00	कुओं पक्का बेरी-३,बबूल-१,सुबबूल-३,रेजा-२,गुरार-१,सेमर-१,नीम-१,अमरुद-२०,बेल-४
162	फेरन पिता रामचरण लक्ष्मीरानी पाति फेरन	भूमिस्वामी	832/1	0.68	0.68	0.00	0.00	अमरुद-२,जामुन-१

163	चंदन शिवराम सूरज पिता गोटीराम सावित्री पिता गोटीराम फूलरानी बेवा गोटीराम	भूमिस्वामी	877	1.21	1.21	0.00	0.00	कुओं पक्का
164	धीर पिता घसीटा बड़ीबहू बेवा घसीटा लूपरानी बेवा फूल्ला केशरबाई पिता रामर्सींग शांतिबाई बेवा शामदयाल कृष्णकुमार धीराम पिता तखतर्सींग सूरजबाई रेवतीबाई कल्लोबाई गीताबाई पिता तखतर्सींग कमलाबाई बेवा तखतर्सींग राजाराम मुनीबाई गुड़ीबाई मनबाई हल्ली वंदना जीरा पिता रामदयाल	भूमिस्वामी	892	1.59	1.59	0.00	0.00	बहरा-1
165	जयर्सींग भरत रोहन कामिनी रवि चमेली उमा पि चित्तर कमलाबाई बेवा चित्तर	भूमिस्वामी	915/1	0.22	0.22	0.00	0.00	
166	नारायण जगदीश जयर्सींग परसराम पिता फूलर्सींग	भूमिस्वामी	475/1 434 436	0.28 0.62 0.41	0.28 0.62 0.41	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	कुओं पक्का
167	नंदराम पिता बिहारी	भूमिस्वामी	476/3 477	0.01 0.70	0.01 0.70	0.00 0.00	0.00 0.00	कुओं पक्का, आम-1, निंबू-1
168	नन्नेलाल पिता कूरे	भूमिस्वामी	469	0.58	0.58	0.00	0.00	कुओं पक्का, तालाब, यूफोलियादि-2, लक्ष्मला-2, सागोन-2, सुधरूल-1
169	नोनर्सींग हिमतर्सींग पिता चेतू सुमतरानी बेवा हल्काई हरीर्सींग पिता रमन सियारानी बेवा दैजनाथ कृपनर्सींग इन्दरर्सींग पिता काशीराम जगरानी बेवा काशीराम दोपती पिता काशीराम	भूमिस्वामी	881	0.88	0.88	0.00	0.00	
170	जानकी बेवा कुर्ढन मानर्सींग हीरालाल रत्तीराम पिता कुंदन सावित्री पिता कुंदन	भूमिस्वामी	779	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, तालाब रेजा-1, आम-1, बदूल-4, खोर-1
171	तेजी उर्फ फूलरानी पति महादेव	भूमिस्वामी	412/2	0.80	0.80	0.00	0.00	गुरार-2, बमूरा-1, सेनर-1
172	नोना पि चेतू विद्घाबाई पत्नि नोना	भूमिस्वामी	888/1	0.68	0.68	0.00	0.00	आँवला-20, बेरी-2, महुआ-1
173	नंदराम पिता लक्ष्मन	भूमिस्वामी	888/2	0.67	0.67	0.00	0.00	महुआ-2
174	जीवन जगदीश रामकुमार पिता पन्नालाल अशोकरानी बेवा पन्नालाल	भूमिस्वामी	910	0.07	0.07	0.00	0.00	
			480	0.5	0.5	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
			754	1.12	1.12	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बेरी-3, कंजी-3, सोबदूल-50
			785	0.48	0.48	0.00	0.00	जामुन-10, अमरुद-3, महानीम-1
175	अंजू पति अजय टंडन	भूमिस्वामी	411/3/1	0.30	0.30	0.00	0.00	
			419	0.17	0.17	0.00	0.00	
			422/2	0.34	0.34	0.00	0.00	गुरार-2
			452	1.13	1.13	0.00	0.00	

176	अशोक राकेश पिता टीकाराम कमला कल्लो क्रांति पिता टीकाराम	भूमिस्वामी	476/1	1.02	1.02	0.00	0.00	कुओं पक्का-1
177	अपनसींग चंद्रहास सोंग पिता जसरथ देववती अशोक कुमार रुकमन सीता हरीबाई पिता जसरथ	भूमिस्वामी	513	1.94	1.34	0.00	0.00	रेजा-1, घमरा-1, तालाब
178	अखलेशरानी पति प्रकाश	भूमिस्वामी	857	0.18	0.00	0.18	0.00	बेरी-7,
			858	0.15	0.00	0.15	0.00	
			861	0.33	0.33	0.00	0.00	
			863	0.20	0.2	0.00	0.00	
179	आँकार पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/3	0.67	0.67	0.00	0.00	
180	अजय पि. चंद्रनारायण ठड्न	भूमिस्वामी	418	0.98	0.00	0.98	0.00	
181	राजाराम द्वारका महादेव पि. अनंतसींग राजकुमारी पि. अनंतसींग सोहन ज्योतिस दीक्षा स्वाती पि. रामअवतार शारदा बेवा रामअवतार	भूमिस्वामी	448	0.32	0.32	0.00	0.00	
182	राजाराम द्वारका महादेव राजकुमारी पिता अनंतसींग शांतिबाई पिता कडोरी सोहन ज्योति दीक्षा स्वाती पिता रामअवतार शारदा बेवा रामअवतार	भूमिस्वामी	859	0.19	0.19	0.00	0.00	
			926	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का
183	गंधर्व अमोल जगतसिंह पिता खिलान सियारानी बेवा खिलान	भूमिस्वामी	424	1.43	0.74	0.00	0.00	आम-1
184	सुरेन्द्र देवेन्द्र नीलेश पिता भगोले किरन हेमवती मालती कल्पना पिता भगोले गिरजाबाई बेवा भगोले अभिषेक हर्ष समीर विशाखा पि गोपाल रीना बेवा गोपाल	भूमिस्वामी	447/1	0.34	0.34	0.00	0.00	रेजा-3, सेमर-1
			491/1	0.70	0.70	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, कंजी-2, बूबूल-2
			468	0.58	0.58	0.00	0.00	
185	पृथ्वी पिता अमरसिंह	भूमिस्वामी	450/1	1.13	1.13	0.00	0.00	.कुपी-1, हडुआ-1, बगूरा-3, सुबूल-1 कुओं पक्का
186	गजराज सिंह पिता ठलू	भूमिस्वामी	825/2	0.09	0.09	0.00	0.00	
			826	0.84	0.84	0.00	0.00	
187	गौतम पिता नथुवा	भूमिस्वामी	876/2	0.27	0.27	0.00	0.00	
			876/5	0.40	0.40	0.00	0.00	बास निरा-1
188	गोपाल पिता मदनगोपाल	भूमिस्वामी	891	0.50	0.50	0.00	0.00	
189	लट्टू पिता कल्ला तिजियाबाई गंगोबाई पिता कल्ला	भूमिस्वामी	431	0.81	0.81	0.00	0.00	कुओं पक्का सागोन-3, यूकेलिपटिस-2, नीम-2
190	लट्टू पिता कल्ला	भूमिस्वामी	432	0.78	0.78	0.00	0.00	
191	गन्धा पिता दलू ग्याबाई बेवा दलू शीलसानी बेवा मुना शिव्यू रंजू तांतू ननाई पिता गोरेलाल शकुनबाई पुत्री गोरेलाल पथरियाबाई बेवा गोरेलाल सरस्वती पुत्री आलम कल्पना पुत्री	भूमिस्वामी	472/1	0.68	0.68	0.00	0.00	

	કિસ્સુ સુનિતા પિતા કિસ્સુ							
192	લઘમન ઔંકાર પિતા સુખદીન	ભૂમિસ્વામી	737	0.68	0.20	0.00	0.00	બમૂરા-1, સાગૌન-1, રેઝા-1
193	લખનલાલ પિતા પરમોલે	ભૂમિસ્વામી	890	1.25	1.25	0.00	0.00	
194	લખન તુલસી તારાચન્દ કેલાશ સીરા સમતા ભારતી રાની વ નન્દરામ લીલાબાઈ	ભૂમિસ્વામી	749	1.22	1.21	0.00	0.00	
			750	0.4	0.4	0.00	0.00	
			751	0.74	0.74	0.00	0.00	સેમર-1, ગુજરાત-1, રેઝા-1
195	લઘમન ઔંકાર પિતા સુખદીન	ભૂમિસ્વામી	752	1.21	1.21	0.00	0.00	
196	દિલીપકુમાર બંદ લક્ષ્મીકાર્ત પાંડે સાણ સાગર	ભૂમિસ્વામી	245/1	0.61	0.00	0.61	0.00	
197	ગવરજ કલૂ નન્દ સંતોષ પરથોરમ પિસરાન ઠલૂ હીરા ઉમા વિમલા સુ ઠલૂ પચોબાઈ બેબા ઠલૂ જગદીશ પ્રકાશ લલતાબાઈ પિતા ફેરન મથરાબાઈ બેબા ફેરન	ભૂમિસ્વામી	501	0.80	0.80	0.00	0.00	
198		ભૂમિસ્વામી	502	0.47	0.47	0.00	0.00	કુઝો પક્કા
199	કુસુમ રાની જોબે કૃપન સીગ	ભૂમિસ્વામી	520	1.49	0.31	0.00	0.00	રેઝા-1, ઘમરા-1
200	કાશીરામ રઞ્જૂ નન્દભાઈ શ્રીરામ પિસરાન ગોરેલાલ ગજરાની બેબા ગોરેલાલ મુકેશ છોટેલાલ પિસ વ પાલક ફુલસર્ઝ સાણ રાલોલી ભૂરબણ ખુનકે	ભૂમિસ્વામી	592/1	0.28	0.28	0.00	0.00	
201	જાગદીશ જગદીશ પિતા હર પ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	756	1.05	1.05	0.00	0.00	કુઝો કચ્ચા
202	ચંદ્રહાલૂ ધનરીંગ અંગદોદાન વા શિવરાજ શ્રીરામ પિતાધ્રતિરુ નાણાણ પિતા મહીપસીંગ પાળમાં વ ખુદ ગુલાબરાની બેબા વ મહીપસીંગ	ભૂમિસ્વામી	757	1.15	1.15	0.00	0.00	કુઝો પક્કા, બમૂરા-2, યૂકેલિપટિસ-1
203	ગાયત્રીબાઈ પિતિ જ્વાલાપ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	769	0.81	0.76	0.00	0.00	કુઝો પક્કા કૌથા-1, મહુજા-1, યૂકેલિપટિસ-1, સુબ્બુલ-6
204	આશારામ રાકેશ પિ. હરપ્રસાદ લીલાબાઈ બેબા હરપ્રસાદ રેખાબાઈ ઉષાબાઈ આરતી પિ. હરપ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	866	0.78	0.78	0.00	0.00	
205	ઔંકાર મોહન ગીતમ પિસ૦ નશુદ્ધ	ભૂમિસ્વામી	876/4	0.01	0.01	0.00	0.00	કુઝો પક્કા
206	ગજરાજ કલૂ નન્દ સંતોષ હીરા ઉમા વિમલા પિતા ઠલૂ પચોબાઈ બેબા ઠલૂ જગદીશ પ્રકાશ લલતાબાઈ પિતા ફેરન મથરાબાઈ બેબા ફેરન	ભૂમિસ્વામી	913	0.10	0.10	0.00	0.00	
207	રામસીંગ પિતા હરપ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	408/2	0.55	0.55	0.00	0.00	સુબ્બુલ-1, બમૂરા-2, ગુરાર-1 રેઝા-1
			409/1	0.35	0.35	0.00	0.00	
208	રામસીંગ ભગવાનદાસ પિતા હરપ્રસાદ	ભૂમિસ્વામી	411/2	0.5	0.5	0.00	0.00	સેમર-1, નીમ-1, બમૂરા-1, સુકુલ-3
209	રાજકુમાર પિતા અમરસીંગ	ભૂમિસ્વામી	425	1.44	0.92	0.00	0.00	નીમ-1, સોચબુન-9, બ્રદુલ-2, રસાલા-1, વેરી-9
			426/4	0.10	0.10	0.00	0.00	

210	विष्णु पिता शोभाराम	भूमिस्वामी	461/2	1.60	1.60	0.00	0.00	सुबबूल-10
211	रामेश्वर चौदे पिता दम्भु हुकमसींग मदन पिता बादल आशोकरानी बेवा बादल नर्मदाबाई पूनाबाई पिता बादल	भूमिस्वामी	462/104 9	0.52	0.52	0.00	0.00	सुबबूल-1
212	भगवान्सींग पिता अमरसींग	भूमिस्वामी	482	1.31	1.31	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 सबबूल-8 अमरुद-1, सोबबूल-9, सागोन-1, रैंजा-1, गुरार-1
213	रीता पति शालकराम	भूमिस्वामी	738/1	0.50	0.22	0.00	0.00	सुबबूल-2
214	रविजसवंत सुनीता आरती उंचली पिता धर्मिति रु हीएलाल हीएलाल पिता कलू	भूमिस्वामी	738/3	0.42	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 अमरुद-1, नीमू-1, बेरी-5,
215	लखन प्रकाश दशरथ पिस० गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/6	0.02	0.02	0.00	0.00	कुओं पक्का
216	शिवरानी बेवा रूपसींग हुलसबाई कल्यानबाई पुत्री पिता धर्मिति रु हपसींग	भूमिस्वामी	845	0.2	0.02	0.00	0.00	
2017	लक्ष्मीबाई उर्फ कुमुमबाई पिले जगन्नाथ	भूमिस्वामी	893	0.11	0.00	0.11	0.00	
218	रघुनाथ हल्के पिता हरीराम फूलाबाई पुत्री हरीराम बदन रामदयाल पिसण देवीसींग जगनाबाई पुत्री देवीसींग	भूमिस्वामी	904 912	0.24 0.04	0.00 0.00	0.24 0.04	0.00 0.00	
219	सन्तो पुरुष रामचंद्र हरीराम ब० कलुवाकलू ब० रतन	भूमिस्वामी	908	0.04	0.00	0.04	0.00	
220	अमरलालपिता ननोई	भूमिस्वामी	915/2	0.18	0.00	0.18	0.00	
221	रामहंसीबन विनोद आशाराम राजेश अब्दुल पिसराम सुदामा अनीता मालती कविता रामरती पुत्रियाँ सुदामा शायमरानी उर्फ कमलाबाई बेवा सुदामा	भूमिस्वामी	920	0.12	0.12	0.00	0.00	
222	भगवान्सींग पिता अर्जुन सिंह	भूमिस्वामी	245/2	1.00	1.00	0.00	0.00	कुओं पक्का सुबबूल-3, बमूरा-3, गुरार-2, रैंजा-2
223	भगवान्सींग पिता अर्जुन सिंह	भूमिस्वामी	495	0.15	0.15	0.00	0.00	सागोन-2, सुबबूल-10, नीम-2, बास निरा-1, सेमर-1
224	मंदिर श्री हुमन स्वामीजी गलाबटोरीया राहुली मुहण पिता धर्मिति रु हंच कमेटी आपचंद्र प्रांगंधकलेक्टर महोदय सागर	भूमिस्वामी	507 508	0.48 0.95	0.48 0.95	0.00	0.00	साल-1, गुरार-1, रैंजा-1
225	मायारानी पति उजागर सिंह लोधी साठ राहुली	भूमिस्वामी	588/1	0.53	0.53	0.00	0.00	
			588/3	0.20	0.20	0.00	0.00	
			592/3	0.07	0.07	0.00	0.00	नीम-1, गुरार-1
			592/4	0.40	0.40	0.00	0.00	रैंजा-3, सुबबूल-1, घमरा-2
226	मुकेश छोटू नावाण पिता पालक फूलसींग	भूमिस्वामी	592/2	0.28	0.28	0.00	0.00	गुरार-1
			588/2	0.40	0.40	0.00	0.00	
227	मननोहन संतोष सकुन चंदा गीता भीरा पिता नाथराम	भूमिस्वामी	583/1	0.50	0.50	0.00	0.00	चिरहेल-1, रैंजा-1
228	प्रवेश बाई जोकी भगवान्सींग दांगी	भूमिस्वामी	583/2	0.40	0.36	0.00	0.00	
229	अजब रानी बेवा अर्जुन सिंह	भूमिस्वामी	589/1	0.62	0.26	0.00	0.00	बहेरा-2

230	मनमोहन संतोष सकुन चंदा पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	590/2	0.20	0.14	0.00	0.00	
231	औकार पिता सुखदीन मानसींग पिता पंचम	भूमिस्वामी	593/1	0.20	0.16	0.00	0.00	घमरा-1
232	मनमोहन संतोष सकुन चंदा पिता नाथूराम	भूमिस्वामी	593/2	0.20	0.16	0.00	0.00	कुओं पक्का
233	रामदरन पिता परसराम	भूमिस्वामी	844/1	0.14	0.14	0.00	0.00	
234	अनंतराम पिता परसराम	भूमिस्वामी	844/2	0.15	0.07	0.00	0.00	
235	गोपाल सुरेन्द्र देवेन्द्र नीलेश पिता भगोले किरन हेमवती मालती कल्पना पिता भगोले गिरजाबाई बेवा भगोले अभिषेक हर्ष समीर विशाखा पि गोपाल शीना बेवा गोपाल-	भूमिस्वामी	855/1	0.12	0.04	0.00	0.00	
236	सूरज पिता कूरे	भूमिस्वामी	855/2	0.11	0.08	0.00	0.00	
237	भौयाराम पि. गजाधर	भूमिस्वामी	259	1.00	0.35	0.00	0.00	
238	रामदास पिता मोहनसिंह गोविंद पि नारायण गुलावारानी बेवा नारायण बती पुत्री नारायण	भूमिस्वामी	739	0.97	0.97	0.00	0.00	बहेड़ा-2, नीम-5, सुबबूल-4, चौस विरा-2 से मर-1
			740	1.05	1.05	0.00	0.00	
239	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश भीरा ममता भारती रानी व नन्दराम लीलाबाई बेवा नंदराम ताराचन्द पि. नंदराम 1. 10हेठो कय की	भूमिस्वामी	757/106 8	0.40	0.40	0.00	0.00	कुओं पक्का
-240	राजरानी पति विन्द्रावन	भूमिस्वामी	758	1.22	1.22	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, अमरुद-1
241	लट्टू पिता कल्ला तिजियाबाई गंगोबाई पिता कल्ला	भूमिस्वामी	759	0.44	0.44	0.00	0.00	कुओं पक्का
242	राजाबेटी पति धीरजसींग	भूमिस्वामी	761	0.64	0.64	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, बेरी-2
243	लखन तुलसी ताराचन्द केलाश भीरा ममता भारती रानी व नन्दराम लीलाबाई बेवा नंदराम ताराचन्द पि. नंदराम 1. 10हेठो कय की	भूमिस्वामी	763	3.48	3.48	0.00	0.00	
244	लखन पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/2	0.16	0.16	0.00	0.00	
			766/4	1.06	1.06	0.00	0.00	
245	दशरथ पिता गोरेलाल	भूमिस्वामी	766/5	1.05	1.05	0.00	0.00	
246	राधिकारानी पति रमेश प्रसाद	भूमिस्वामी	788	1.69	1.69	0.00	0.00	कुओं पक्का-1 औंवला-1 सोबबूल-8, यिरोल-3, बबूल-1
247	राजकुमारी बेवा हल्लेभाई	भूमिस्वामी	820	1.07	0.15	0.00	0.00	
248	राजाराम पिता अनंतसींग	भूमिस्वामी	822	0.78	0.63	0.00	0.00	कुओं पक्का-1, अमरुद-1, औंवला-1, जामुन-1, बेरी-8 यमूरा-2, रेजा-1
249	रामसजीवन विनोद आशाराम राजेश अजय पिता सुदामा अनीता मालती कविता समरती पिता सुदामा श्यामेरानी	भूमिस्वामी	849	0.33	0.14	0.00	0.00	

	उर्फ कमलावाई बेवा सुदामा							
250	बालकिशन पिला कूरा	भूमिस्वामी	874	0.83	0.83	0.00	0.00	कुआँ पक्का-1,यूकेलिपटिस-3
251	राजाराम द्वारका महादेव राजकुमारी पिता अनंतसींग सोहन ज्योतिष दीक्षास्वाति पि रामअवतार शारदा बेवा रामअवतार	भूमिस्वामी	878	0.81	0.81	0.00	0.00	कुआँ पक्का-1,बहेरा-1
252	रामसजीवन विनोद आशाराम राजेश अजय पिता सुदामा अनीता मालती कविता रामरती पिता सुदामा श्यामरानी उर्फ कमलावाई बेवा सुदामा	भूमिस्वामी	902	0.41	0.41	0.00	0.00	
			911	0.29	0.29	0.00	0.00	
	योग:-		385	253.2 3	208. 65	6.95	4.08	

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।
- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
  - (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
  - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
  - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
  - (5)
    - (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
    - (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारी संदाय या
    - (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
  - (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
  - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक या संस्थागत ढाँचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय व्यवय के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन रस्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5— प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय चरोंखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6— अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १३/११/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपरिथित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7— भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-24- अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8934

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1)	परियोजना का नाम	:	आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	सागर
3.	ग्राम	:	बोधा पिपरिया
4.	पट. ह. न.-	:	110
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	119.61

क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5			8	9
1	घनीराम काशीराम रत्नीराम पिता रागवर बेवा मल्ली वे. रागवर हरीशंकर औंकार कृपाल भावन पिता घनश्याम भूमि स्वामी अवधारानी बेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया बेवा गोकल महराज पि. नन्नेलाल परशोत्तम पि. बुद्दे कामता प्रसाद दरबारी बैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नू बाबू कोमल मैजी दुर्गा भगवानदास बीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद	भूमिस्वामी	184	1.11	1.11	0.00	0.00	सागौन-2, सेमर-1 कुओं-1
			186	0.39	0.39	0.00	0.00	चिरहोल-1, कोहा-1
			192	0.23	0.20	0.00	0.00	निरंक
2	घनीराम रत्नीराम काशीराम पिता रागवर पता सा. बरखेश गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	196	0.50	0.50	0.00	0.00	निरंक
			211	3.20	3.20	0.00	0.00	कुओं-1
			226/1	0.06	0.06	0.00	0.00	कोहा-3

3	रुपरानी बेवा करन सिंह रेखारानी बेवा हरीशंकर काशीराम रामसिंह शीलाबाई आशाबाई व रामजी ना. बा० वल्ड भूमि स्वामी नकई पालक व खुद मां जनकरानी दे. कनई रानाधर गजाधर कच्छी पि. पहाड़ी फलरानी बेवा पहाड़ी राजासह हल्ल गिल्ले तुंती पि. देवसिंह शेवरानी बेवा देवसीग गुलाबबाई पि. नथू	भूमिस्वामी	180	1.02	1.02	0.00	0.00	कोहा-3, ऑस-2, चमर-1, चमर-1,कोहा-1
4	बीरन उत्तम पि. मानसिंह भूमि स्वामी		217/1/1	0.98	0.98	0.00	0.00	निरंक
	लक्ष्मी रानी बेवा मनसिंह रुपरती इमरती पुत्री मानसिंह भूमि स्वामी		239/1/3	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
5	बैजनाथ ब० दुल्ले पता बरखेरा गोतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	0.95	0.95	0.00	0.00	निरंक
			235/2	0.32	0.32	0.00	0.00	निरंक
6	बलीराम बल्द गुन्ने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77	1.04	0.55	0.00	0.00	गुरार-1, नीम-1,मकान-1,बेरी-7
			164	0.72	0.72	0.00	0.00	सागौन-4, लिट्ट-1,कोहा०-1
7	बल्ल बनीबाई पिता बुधू सा. दह रमबाई जोजे राधे सा. आमचंद गुलाबबाई जोजे काशीराम भूमि स्वामी सा. सिद्धगुवा श्यामबाई जोजे बंशी सा. खेराना रामकली बद्द हिम्मत सा. पता भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60	1.35	1.35	0.00	0.00	सागौन-2,कोहा-4 सेमर-2,नीम-2 बेरी-6,ऑवला-1
8	कपिल कुमार पिता शीतलचंद जैन पता सा. वर्णी कालोनी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/2	0.40	0.40	0.00	0.00	निरंक
9	नरान बल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/1	0.98	0.75	0.00	0.00	निरंक
10	कौशल्यारानी पति गोविन्द पता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	1.13	1.13	0.00	0.00	
11	शिवशंकर पि. कुंदन	भूमिस्वामी	204/1	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	कैलाश बल्द कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/2	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	अर्चना पि. कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/3	0.10	0.00	0.10	0.00	कोहा०-2, विरोल-1,इमली०-1
14	हुकुमरानी बेवा कुंदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/4	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	पश्चिम पि. सिल्ल अमोरानी पति पश्चिम	भूमिस्वामी	204/5	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	राजेश पि. पश्चिम	भूमिस्वामी	204/6	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	राकेश पि. पश्चिम	भूमिस्वामी	204/7	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	देवेन्द्र पि. पश्चिम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/8	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	जया पि. पश्चिम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/9	0.20	0.00	0.20	0.00	निरंक
20	.	भूमिस्वामी	42	0.57	0.02	0.00	0.00	निरंक

	कल्पान सिंह बखत सिंह पिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल अच्छरानी देवा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू भीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पल्लि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिव्य मनीषा पुत्री शिव्य अनूपरानी देवा शिव्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		56	1.27	1.27	0.00	0.00	बनूल-3, गुरार-2 सागौन-1, कोहा-3, येरी-1
21	गोपाल सुखलाल ओंकार परताप पुत्र जीवन साधित्री गीता पुत्री जीवन गौराबाई देवा जीवन पुत्र जीवन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	0.51	0.34	0.00	0.00	नीम-1, बडूल-1, बहेरा-1, बेरी-1 कुओं-1
22	कलू पि. खेतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	48/1	1.07	0.01	0.00	0.00	निरक
23	मायाबाई फली रामनाथ जाति यादव पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	1.17	1.17	0.00	0.00	कुओं-1, नीम-2, सागौन-2, सेमर-1 बहेरा-1
		भूमिस्वामी	68/4	0.74	0.74	0.00	0.00	कुआ पक्का-1, मकान-1
24	मकुटराम बल्द बलबत्राय चर्टर रामसहाय गोमतीबाई देवा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव सतोष राव छुटकुल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	169	1.92	1.92	0.00	0.00	बहेरा-1 कोहा-1 युआ-1 बेरी-1
		भूमिस्वामी	178	0.92	0.90	0.00	0.00	निरक
25	महादेव मोहनलाल पिता बाबूलाल रामरानी पल्लि गुलाबसींग शालकराम प्रकाश हल्लीबाई कृष्णाबाई श्रीबाई भूमि स्वामी जनकबाई पिता कनई प्रेमदुलैया देवा करनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162	0.29	0.29	0.00	0.00	निरक
26	महादेव मोहनलाल बल्द बाबूलाल शालकराम प्रकाश हल्लोबाई कृष्णाबाई श्रीबाई जननाबाई पिता कनई भूमि स्वामी प्रेमदुलैया देवा करनई सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143	0.51	0.51	0.00	0.00	निरक
27	मुकेश पिता कुद्दा देशरानी देवा कुद्दा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	0.47	0.31	0.00	0.00	महुआ-2, कोहा-1, बहेरा-2
			67	0.60	0.60	0.00	0.00	निरक
28	मुनी पल्ली ऋषव जाति जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/3	0.20	0.20	0.00	0.00	निरक
29	मुना बल्द मुल्ले पता सा. बरखेरा गोतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	205	0.46	0.45	0.00	0.00	निरक
30	मुना नन्हेभाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159	0.89	0.89	0.00	0.00	सागौन-5, लिटिंग-2, अमछंद-1 छीताफल-1, कुआ-1
			44	0.98	0.98	0.00	0.00	
			161	0.18	0.18	0.00	0.00	निरक
			176	0.28	0.28	0.00	0.00	कोहा-2 नीम-2,
31		भूमिस्वामी	215/2	1.23	1.23	0.00	0.00	निरक

	मिथिलेश शानी पलि बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गोतम भूमि स्वामी		236/2	0.13	0.13	0.00	0.00	निरंक
32	सियाशनी पलि वीर सिंह पता सेवारा सेवारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166	0.48	0.48	0.00	0.00	वेरी-4, कुआ-1
33	सिरदार बहू बेवा चंदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61	0.66	0.66	0.00	0.00	सेमर-1, नीम-1,
34	दिनेश पुत्र धनीराम पता बरखेरा सामग्री मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/1	0.62	0.62	0.00	0.00	गुजा-1, गुशर-1, कोडा-1, छेलता-1, महुआ-1
35	चित्तर प्रभू पिता कौड़ी छवरानी बेवा कौड़ी बाबू पुत्री जगदीश सुरीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी बेवा जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146	1.01	1.01	0.00	0.00	निरंक
			148	0.08	0.08	0.00	0.00	निरंक
36	रामसेक पुत्र गोटीराम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/1/1	0.42	0.42	0.00	0.00	म्हान-1
37	हरीनरायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया बेवा गोकल पता सा. बरखेरा गोतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/1	2.19	2.19	0.00	0.00	सेमर-1, कोहा-1,
			237	0.20	0.20	0.00	0.00	निरंक
38	हरखरन बल्द मैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70	0.81	0.81	0.00	0.00	बहेरा-2 सोबबूल-3, वेरी-6, ऑवला-2
39	भद्र पिता फलादी पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	189	1.01	0.40	0.00	0.00	निरंक
40	रामदास बाबूलाल जागे रामसर्खी भैयालाल पि. कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195	0.30	0.30	0.00	0.00	निरंक
			209	0.70	0.70	0.00	0.00	ऑवला-1
41	प्यारे गुलई राजबाई पि. हरजू गुलाब नन्नी भोगनी पिता विरजा पता सा. देह भूमि स्वामी भनू ब० ननू उर्मिला औंजो मैंजो पु० ननू सरोजनी बेवा ननू पता निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	172	1.61	1.61	0.00	0.00	गुजा-2, वेरी-1, नीम-1, जामुन-1, वेरी-2
42	प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्हानी बेवा टीका रामप्रसाद बल्द छुददा सा. देह रमबाई जोजे भानसीरोग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर तारबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
			173	0.74	0.74	0.00	0.00	निरंक
			177	0.98	0.98	0.00	0.00	कोहा-1
43	गुपाल दीपक लेखन पूनम लक्ष्मी हल्ली पि. प्यारेलाल रामरानी बेवा प्यारेलाल गुलई राजबाई पिता हरजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	1.72	0.45	0.00	0.00	दूकेलिपटिस-3
44	परसादी बल्द मनू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	47	1.81	0.20	0.00	0.00	निरंक
			170	0.62	0.62	0.00	0.00	निरंक
45	पलुवा दुर्जन खुनसैया बटुवा पिस सेवा द्वापती बल्द सेवा ललतिया बल्द सेवा पता सा. आमचंद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/1	0.14	0.14	0.00	0.00	निरंक
46	प्रयागरानी बेवा चित्तर प्रहलाद नावा. पिता चित्तर बली व खुद मां प्रयागरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	193	0.30	0.30	0.00	0.00	निरंक
			198	0.70	0.70	0.00	0.00	बहेरा-2, चिरोल-1

									निरंक
47	प्रहलाद पिता धर्मदास अमर्सींग पिता चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65	0.12	0.12	0.00	0.00		
48	रमेश कमलेश पिता उमराव पता सा. सनोधा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155 157	0.66 0.30	0.66 0.30	0.00 0.00	0.00 0.00	निरंक निरंक	
49	रश्मि पत्नि सजेश जैन पता सा. कर्णपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220 223 229 233	1.01 0.11 0.22 1.20	1.01 0.11 0.22 1.20	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	अचार-1, देरी-1, कंडौ-1 निरंक निरंक निरंक	
50	रीता उर्फ रिकी पत्नी सुरेश जाति जैन	भूमिस्वामी	234	1.62	1.62	0.00	0.00		निरंक
51	रीता उर्फ रिकी पत्नी सुरेश जाति जैन पता सा. 198 बोधा पिपरिया सागर मध्यप्रदेश भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/1 238	1.62 1.10	1.62 1.10	0.00 0.00	0.00 0.00	पीपल-1, बहेरा-4, नीम-1 कंडौ-1,	
52	रामकुमार पिता काशीराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/3	1.26	1.26	0.00	0.00		निरंक
53	रामरानी बेवा गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	149 179	0.23 1.18	0.23 1.18	0.00 0.00	0.00 0.00	कोहा-3, बॉम-2	
54	रामधार गजाधार कन्छेदी पि. पहाड़ी फुलरानी बेवा पहाड़ी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203	1.40	1.40	0.00	0.00	कोहा-10, खेर-1, कौशा-3, ओवला-1 आम-1, देरी-4, अमरक-2, कंडौ-1	
55	तारारानी पति काशीराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/1/2	0.80	0.80	0.00	0.00	कोहा-3, नीम-1, सागौन-1, कंडौ-1	
56	मिथिलेश रानी पत्नि बालमुकुन्द पुता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/3	1.40	0.56	0.00	0.00		
57	जगदीश प्रसाद पिता हरप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36/4	1.40	0.23	0.00	0.00		निरंक
58	राजेन्द्र कुमार वल्द बसन्तलाल समेया पता सा. पदमाकर नगर रजाखेड़ी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	1.61	1.61	0.00	0.00	सागौन-3, कोहा-3	
59	राजाराम वल्द हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/2	0.03	0.03	0.00	0.00		निरंक
60	राजकुमार सुरेन्द्र वाड गोलू नावाड पिसरान लूपसिंह बली व खुद मौं कौशिल्या बेवा लूपसिंह बर्दा पुत्री लूपसिंह रघुवीर पिता बाबूलाल खेमा पिस मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	175	0.89	0.89	0.00	0.00		
61	रामनाथ श्रीराम पि. हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/1	3.42	3.42	0.00	0.00		
62	रामनाथ पुत्र हल्काई जाति यादव पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/3	0.45	0.45	0.00	0.00	ममरा-5, सेमरा-2, कोहा-1 नीम-2, गुराट-2 देरी-5, आदला-8, आम-4, अमरक-10 मुनाना-1, परीता-15, कंडौ-1	
63	रामदास रामलाल मुन्ना पिस मुल्ले पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	206	1.48	1.48	0.00	0.00	गुराट-2, सुबूल-4, बमूरा-1, नीम-1, कौशा-1, देरी-3, जामुन-3 कंडौ-1	
64		भूमिस्वामी	43	0.86	0.66	0.00	0.00		

	मनोहर राजकुमार संविता पि. रामेश्वर शशिवाई बकवा रामेश्वर संतोष चुदकल बलद विदाकर मुन्न नन्देश्वाई पि. सोभा सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140	0.59	0.59	0.00	0.00	निरंक
			156	0.36	0.36	0.00	0.00	निरंक
65	शांतिवाई पिता लिलाई महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेवा शोभा श्यामलाल विन्द्रावन हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अगूरी अर्चना पुत्री सवदल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	158/1	0.29	0.29	0.00	0.00	निरंक
66	फूलसींग पि. परवत्तम रायत		158/2	0.14	0.14	0.00	0.00	
67	रतन दुलैया बेवा सिया पपू वत्तोवाई पति सिया रखी पि. पूरन जगरानी बेवा परसादी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	167	2.00	2.00	0.00	0.00	गहुआ-1 सागौन-8 कोहा-3 बेरी-3, नीम-2 जामुन-3 कुञ्जी-1
68	रणबीर जमना जगन दामोदर पिस गजराज राजरानी बेवा गजराज पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199	2.40	2.40	0.00	0.00	कोहा-6 सागौन-14, चिरोल-1, नलकूर-1
69	शालकराम रामक्रपाल पिता कनई राम दुलैया बेवा कनई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/1	0.78	0.78	0.00	0.00	सागौन-1, गुंजा-1, नीम-1, छीताफल-1 कुञ्जी-1
70	संजना पत्नी सचिन जाति जैन पता सामर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	224	0.62	0.62	0.00	0.00	कोहा-3
			230	2.00	2.00	0.00	0.00	बहेरा-2
71	सीमा पत्नी निखलंक जाति जैन पता सा. 198 बोध पिपरिया सागर मध्यप्रदेश भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226/2	1.20	1.20	0.00	0.00	कोहा-4, बोध-2
			227	0.89	0.89	0.00	0.00	निरंक
			228	0.80	0.80	0.00	0.00	निरंक
72	सीताराम जीवन सुरेश पि० घनश्याम शांतिवाई क्रांतिवाई पुत्री शीलरानी बेवा घनश्याम दीपक रामक्रेश पिता भगवान सींग मगन गुलझारी सुमेदा लकमन पूनावाई पिता भेरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73	1.60	1.05	0.00	0.00	आम-2, भोवरी-5, बिही-2, नीम-4 कोहा-2
			152/1	0.38	0.38	0.00	0.00	कुञ्जी-1
73	सीताराम जीवन सुरेश शांतिवाई क्रांतिवाई पि० घनश्याम शीलरानी बेवा घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72	1.54	1.54	0.00	0.00	गम्भा-1 लसल्ला-1, आमरी-1 बरी-2 इमली अंग्रेजी-4 कुञ्जी-1
74	कमलेश्वरानी पति शालकराम	भूमिस्वामी	78/2	0.30	0.08	0.00	0.00	बबूल-01, बम्पूरा-01, नीम-01, बेरी-1
75	सुमत्रानी पति उमराव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/2	0.85	0.85	0.00	0.00	सागौन-1
76	उमाशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/1	0.94	0.94	0.00	0.00	नीम-01, खेमेर-01, छीताफल-2
			235/1	0.32	0.32	0.00	0.00	
77	दयारानी पत्नि धनीराम पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/1	1.35	1.35	0.00	0.00	सागौन-02, शीशम-03, घेवला-03, बहेरा-01 कुञ्जी-1
78	दयावंद निर्मल कुमार सुमत कुमार ज्ञानचंद शिखरचंद	भूमिस्वामी	79	0.79	0.63	0.00	0.00	गुंजा-1, बम्पूरा-1
			137	0.11	0.06	0.00	0.00	
			141	0.27	0.27	0.00	0.00	

	शीतलचंद पिता बाबूलाल भूमि स्वामी		150 181	2.56 0.97	2.56 0.97	0.00 0.00	0.00 0.00	नीम-2 कोहा-10 कोहा-5, गुराई-1
79	दीनदयाल पिता बनीराम पता नियासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	212	1.00	1.00	0.00	0.00	कोहा-3, नीम-1
80	दरबारी पिता 'दुल्ले पता नियासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/3 218/3 235/3	0.63 0.94 0.32	0.63 0.94 0.32	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	गुजरात-1, गुराई-1, कोहा-1, छेवल-1 मकान पवका-1, निरंक
81	छोटे तुलसी शंकर पिसा फुल्ला शंकिताई हल्कीबाई पु. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	210	1.00	1.00	0.00	0.00	नीम-1, यूकेलिटिस-1
82	देशराज परम ना.बा.पिता हल्काई पालक व खुद बहिन क्रांतिताई पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	55	1.00	0.80	0.00	0.00	नीम-1, कोहा-1, गुजरात-3
83	देवी मानसीग पिता नन्नाई पूना देवका गंगा पुत्री नन्नाई लक्ष्मी बेवा नन्नाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	41	0.92	0.30	0.00	0.00	निरंक
84	चन्द्ररानी पत्नि भागीरथी पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215/1 236/1	1.23 0.12	1.23 0.12	0.00 0.00	0.00 0.00	कोहा-1, वॉस-2, सागौन-2 कुंडो-1 निरंक
85	फूलसीग पिता छुट्टा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185	1.00	0.62	0.00	0.00	निरंक
86	फूलसीग अमान किशन पिसा परसोत्तम हल्की बिन्ना पिता परसोत्तम बुजरानी बेवा परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144	0.32	0.32	0.00	0.00	बबूल-4, लिटिस-1,
87	फूलसीग अमान किशन पिसा परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151	0.66	0.66	0.00	0.00	कुंडो-1, बेरी-4, अमरुद-1 चीताफल-3
88	नन्हेलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239/1/1 217/1/2	0.11 0.99	0.11 0.99	0.00 0.00	0.00 0.00	
89	ताशारानी पत्नि काशीराम यादव पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/2	1.27	1.27	0.00	0.00	कुंडो-1 बहेरा-2 मकान-1
90	जूली उरु जयर्ती पत्नी अखलक जाति जैन	भूमिस्वामी	232/1	2.18	2.18	0.00	0.00	
91	जगन्नाथ पिता जुड़े महरानी बेवा दैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63	0.13	0.13	0.00	0.00	निरंक
92	नर्मदा प्रसाद वडो दैजनाथ सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/2	0.62	0.62	0.00	0.00	निरंक
93	नीतोश पिता गुलझार पता नियासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/2	0.37	0.37	0.00	0.00	निरंक
94	नीलू पन्नी संभव जाति जैन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/2 232/2	1.50 1.12	1.50 1.12	0.00 0.00	0.00 0.00	निरंक
95	नरान वल्ल रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. खालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	139	0.71	0.68	0.00	0.00	निरंक
96	नन्दनी पत्नि महेन्द्र जैन पता सा. भोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219 231/2	1.12 0.35	1.12 0.35	0.00 0.00	0.00 0.00	बग्गा-1, मकान-1, ओंवला-1 निरंक

97	टीकाराम सूरत सींग सीताराम पिता दुर्गा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64	0.12	0.12	0.00	0.00	वांस-1
98	अशोकरानी पति रतीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/3	1.20	1.20	0.00	0.00	निरंक
99	अजयरानी पति भुवानी प्रसाद पता सा. बख्तेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/2	0.20	0.20	0.00	0.00	निरंक
			217/2	0.54	0.54	0.00	0.00	कोहा-1, बहेरा-1
			239/2	0.12	0.12	0.00	0.00	निरंक
100	गोकल प्रसाद पुत्र परसादी जनकियाबाई पुत्री परसादी कसिया पुत्री भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58	1.55	1.55	0.00	0.00	कोहा-4,आम-1
101	गोटीराम वल्द लख्या पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76	1.16	0.77	0.00	0.00	सागोन-2, सेमर-1 कुंडी-1
			163	0.78	0.78	0.00	0.00	बेटी-10,आम-5 बिही-20,आवरी-1 कुंडी-1,नलकूप-1
102	गुलजारी वल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.99	0.99	0.00	0.00	कुआ पक्का-1 ठाडबैल-1 बेटी-10 आम-5 बिही-20 आवरी-1
			165	0.35	0.35	0.00	0.00	रेजा-1,नीम-1,मकान-1,बैरो-8 कुंडी-1
			168	1.56	1.56	0.00	0.00	बैरो-8 कुंडी-1
103	गणेश वल्द हरचरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69	0.07	0.07	0.00	0.00	सागोन-5,बौस-1, कोहा-6,गुरार-1 आम-2,अमरुद-2 कुंडी-1
104	गुलाब सेवक अनंदी बा. प्रेमबाई ना. बा. पिता कंठेदी गोपनीबाई जोजे अमोल पालक भाई मुलाम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201	1.27	1.27	0.00	0.00	कोहा-8,
105	लछमन सिंह वल्द चिन्ते पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	207	1.53	1.53	0.00	0.00	सागोन-5,शीशम-1, चिरोल-1,चैदला-03, नीम-2,इमली-2 कुंडी-1
106	लक्ष्मीनारायण पि रतीराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/2	1.20	1.20	0.00	0.00	मकान पक्का-1,
107	कोमल पुत्र दुर्गाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/1/3	0.99	0.99	0.00	0.00	
			239/1/2	0.11	0.11	0.00	0.00	
<b>योग:-</b>			<b>151</b>	<b>130.63</b>	<b>117.61</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम भजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य भासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार “पुनर्व्यवस्थापन भत्ता” दिया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
- (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 6— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने को प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पैदल यात्रा या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारोंगाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक मण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (10) स्थल पर रहने वाले जाति—समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर—परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) भारत सरकार द्वारा यथायित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रभागित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 5— प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय चरोंखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकमा 2.000 है. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।
- 6— अधिनियम 2013 की धारा—21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २५/ ११/ २०२२ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा—20 के अधीन किये गये भागों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 7— भूमि के नक्शे तथा स्तान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक—01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-57—अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-8935

भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19(1) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम	: जमदरा जलाशय योजना	
(2) भूमि का विवरण		
1. जिला	: सागर	
2. तहसील	: गढ़ाकोटा	
3. ग्राम	: जमदरा जलाशय योजना	
4. पट. ह. न.—	: 19 जरिया खिरिया	
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	1.00	

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड 0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रवेशरानी पति डालचंद सा. परसिया	भूमि स्वामी	10/1	1.99	1.00	कुँआ-1	सिंचित	
	कुल रकवा			1.99	1.00			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक १५/११/२० को प्रातः 10.30 बजे से 3.00 बजे तक व्यवितरण रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग

क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

पु.क्र.—002—अ—82—2019—20—11801

श्योपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2022

(भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर कक्षेटो नांद परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम फरारा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 2 कुल रकवा 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम धारा के अधीन यथा विरचित क्लेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुट्टम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम फरारा पटवारी हल्का 45 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 0.180 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

सं. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम /पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	412/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी
2	417	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	रामदरन पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमि स्वामी
किता 02			कुल	0.180	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि—अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लें में, अवमृदा में खुदाई करने या ठेघन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रंय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू—अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष — धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू—अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं हैं।  
स्थान श्योपुर

पृ.क्र.-001-अ-82-2019-20-11803

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11एवं 40 (सहपतित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर कक्षेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम सेहुला तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 04 कुल रकवा 0.860 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विविध वलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुट्टबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम सेहुला पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 0.860 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

सं. क्र	सर्वे नं.	स्थानित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	251/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2	71/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3	72/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	70/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी
किता 04			कुल	0.860	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लें में, अवमृद्धा में खुदाई करने या घेंथन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आव्योप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकें।

विशेष - धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होते।

पृ.क्र.-05— अ—82—2022—23—11805

(भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम धोविनी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 31 कुल रकवा 8.101 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित क्लेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम धोविनी पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 8.101 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

सं. क्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम /पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व आभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	497/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
2	497/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
3	497/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
4	496	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.092	सज्जन, ओमी, दोली राजू पुत्रगणं परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्ही,लीला वा. मुकेश ना.वा. पुत्रिया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेबा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
5	495/2	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.011	नथुआ, प्रह्लाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौं प्रगागों, रामो पुत्रिया जादौं जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
6	495/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.011	जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
7	478	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी राजो बेबा मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी बाबूलाल, द्वारिकाप्रसाद बा.ओमप्रकाश ना.बा.पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भूमि स्वामी श्रीकिसन ना.बा. पुत्र देवीराम सरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी
8	517	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.283	सज्जन,ओमी,दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिनी,लीला वा. मुकेश ना.वा. पुत्रिया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेबा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
9	510	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.136	जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी
10	508/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	गयावाई बेबा चिन्दू जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
11	508/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	मु.चंद्रा बेबा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
12	503	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.200	कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राम्हण पता धोबनी भूमि स्वामी
13	646/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
14	646/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	384	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामहेतु पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूढ़ा भूमि स्वामी
16	421	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.249	सुरेश कुमार कृष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	417	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.137	हरिज्जन पुत्र सबाई जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला,लीला पुत्रिया सबाई जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मु.कस्तूरी बेबा सबाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेंद्र ना.वा.पुत्रगण रामचरन गायत्री ना.वा. पुत्री रामचरन सर. माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु.कलाबती बेबा रामचरन जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमि स्वामी मुरारी पुत्र रामजीलाल मु.गया बेबा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चंदू 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी
18	36/2/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.742	प्रह्लाद, रघुवर पुत्रगण रत्न जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान,भाग भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
19	471	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	पूरन, लखन, विजय, वीरेंद्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अंजू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी गिराज, अमरसिंह पुत्रगण जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गिराज, अमरसिंह गीता, जानकी, लीला, त्रिवेनी पुत्रिया जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी बेबा जनबेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
20	473	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.241	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
21	480	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	चरण पुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेबा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 केदार पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 भूमि स्वामी
22	485	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
23	483	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
24	484	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
25	467/1	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे	कृषि भूमि	0.363	कमरलाल, कैलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा, रेखा पुत्रिया कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे
26	24/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.070	बैजन्ती बेबा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भाग 1/7 महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सुकन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमि स्वामी
27	24/4/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भूमि स्वामी

1	2	3	4	5	6
28	22/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.450	विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता निवासी ग्राम धोवनी भूमि स्वामी
29	486	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	हजारीलाल, पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
30	516	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.109	दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोवनी भू-स्वामी
31	34/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.463	प्रह्लाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान भाग भूमि स्वामी
किता 31		कुल	8.101		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्र और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नंकशा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ज़िला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लें में, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू—अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष — धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू—अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दियें निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

पृ.क्र.—003—आ—82—2019—20—11807

(भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वसन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककेटी बौद्ध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम बिनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 51 कुल रकवा 18.113 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित वलेवटर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम बिनेगा पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 18.113 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, वग अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

संक्र	सर्व नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पिता का नाम जाति, भाग(राजस्व अनिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	326	भू—दान भूमिरवामी	कृषि भूमि	0.470	जगन् पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि. बिनेगा भूदान भूमि स्वामी
2	327/1	भू—दान कृषक	कृषि भूमि	0.052	रामदयाल पुत्र रतन् हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू—दान कृषक चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भू—दान कृषक
3	327/2	भू—दान भूमिरवामी	कृषि भूमि	0.501	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भू—दान भूमि स्वामी कौसाए वैजन्ती पुत्रिया सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भू—दान भूमि स्वामी
4	330/2	भू—दान कृषक	कृषि भूमि	1.095	गोपाल पुत्र कमलसिंह जाति रावत पता दाउद पुर भू—दान कृषक
5	328	भू—दान कृषक	कृषि भूमि	0.398	रामदयाल पुत्र रतन् हिस्सा 1/3 जाति चमार पता वि.गा भू—दान कृषक चतुरोए पंखो पुत्रिया भीका जाति चमा पता बिनेगा समान भाग 2/3 भू—दान कृषक
6	329/1	भू—दान कृषक	कृषि भूमि	0.731	मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भू—दान भूमि स्वामी
7	334	भू—दान कृषक	कृषि भूमि	1.108	लखन पुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भू—दान भूमि स्वामी मु.साबो बेबा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भू—दान भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भू—दान भूमि स्वामी बैनलाए गुइडी ना.वा. पुत्रिया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2 समान भाग भू—दान भूमि स्वामी
8	307	भूमि रवामी	कृषि भूमि	0.042	हुकुमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर ज़ा नि. बिनेगा भूमि स्वामी
9	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.386	हुकुमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर ज़ा नि. बिनेगा भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	300/4	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.585	तुलसीराम पुत्र इमजन जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
11	300/6	भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.147	छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
12	291	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.705	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
13	335	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	गुलाबचंद्र पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता बिनेगा भूमि स्वामी
14	336	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.041	पाना बेबा रत्नू जाति जाटव पता निवारन भू-दान भूमि स्वामी
15	298	भू-दान-कृषक	कृषि भूमि	0.481	राजेश पुत्र ब्राह्मण जाति शिवहरे पता बिनेगा भू-दान कृषक
16	296	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	रामदयाल पुत्र इतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
17	292	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.034	चेऊराम पुत्र कुड़ेरी जाति गुर्जर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
18	295	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.137	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
19	294	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
20	274/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.014	कुन्दन पुत्र सुख्ख जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसाए वैजन्ती पुत्रिया सुख्ख जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
21	274/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरोए पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
22	271/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
23	271/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397	साजो बेबा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमलाए गुड़ी ना.वा. पुत्रिया ल्होरिया सर.माँ खुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	270	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.156	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
25	255	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	उम्मेदसिंह बद्री सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी.
26	254	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	उम्मेदसिंह बद्री सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
27	268	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरों पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
28	267	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरों पंखो पुत्रिया भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
29	265	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसार वैजन्ती पुत्रिया सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
30	268/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	पांचो बेबा केशरिया जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी तेजसिंह बा. पिस्सौ दोजा ना.बा. पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खोए हन्नीए मंतो पुत्रिया केशरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
31	266/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
32	263	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.784	उम्मेदसिंह बद्री सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
33	275	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.333	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी
34	236/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	रणवीर निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमि स्वामी मंजेश बेबा हरचरण प्रदीप रहेन्द्र ना.बा. पुत्रगण हरचरण करिशमा ना.बा. पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता नि. ग्राम समान 1/3 भाग भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	232	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439	सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह चिरोंजीए सुघरसिंह लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
38	200	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.302	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
37	178	भूमि खामी	कृषि भूमि	0.136	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
38	173	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.400	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 बादाम पुत्र शंकर कुनियाए सुखो गोधा पुत्रिया शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
39	172	भूमि खामी	कृषि भूमि	0.081	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 बादाम पुत्र शंकर कुनियाए सुखो गोधा पुत्रिया शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
40	177	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
41	203	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	उम्मेदसिंह बड़ी सिंह पुत्रगण चंदनसिंह जाति गूजर पता नि. बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंदनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
42	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.324	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 तिरोंजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कलहैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 भूमि स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	208	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	बाटामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोंजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुधरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता विनेगा भाग 1/18 भूमि स्वामी
44	209	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.449	विश्वम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड़ पता नि. नेहरखेडा भूमि स्वामी
45	184	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.020	उम्मेदसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
46	67/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.320	बंल्लभ पुत्र चक्रपाल जाति धाकड़ पता नि. सेहुला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ पता नि. सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ पता नि. सेहुला भाग 677/4065 भूमि स्वामी
47	85/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.888	सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनबारी समान भाग जाति बैश्य पता बिनेगा भूमि स्वामी
48	85	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.805	चौहू पुत्र दुर्जन जाति सेहर पता बिनेगा भूमि स्वामी
49	64/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.500	सुशीला बेबा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममताए मंजूए लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
50	64/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.588	अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमि स्वामी
51	308	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.141	हुकुमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता नि. बिनेगा भूमि स्वामी
किंता 51			कुल	18.113 हे.	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यवित्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पासदरिंता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपक्रमों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नवशा (स्वामी) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविमाणीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपवित्रित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके

कर्मधारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका संरक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर तें में, अवधूदा ने खुदाई करने या वेधन वा अपेक्षित कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी आन्य कार्य करने के लिए प्राप्तिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यवित कलेक्टर के पूर्व अनुरोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की वा ऐसी भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंब सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपवित्रित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक कार्यक्रम का द्वारा गू—अर्जन को बारे में कलेक्टर के समझ आवेदन, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकें।

विशेष — धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आगे बाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू—अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गिरेंशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

पृ.क्र.-004-अ-82-2019-20-11809

(भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिए ग्राम नेहरखेडा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में कुल किता 06 कुल रकवा 1.410 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित क्लेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला श्योपुर तहसील विजयपुर के ग्राम नेहरखेडा पटवारी हल्का 48 रा.नि. वृत्त 03 गसवानी में उक्त परियोजना के लिए 1.410 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

संक्र	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कृषक का नाम / पितां का नाम जाति, भाग(राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	नेतु, रामहेतु पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री,बत्तो नावा.पुत्रिया भगीता सर. सावित्री माँ खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री बेबा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
2	1207	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
3	1208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
4	1200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	रघुबीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शांति बेबा कमरलाल समान भाग 1/2 कर्ड पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
5	1204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
6	1039	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610	बंठन, महेश पुत्रगण नक्कू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नक्कू जाति चमार पता नि.ग्राम रामान भाग भूमि स्वामी
किता 06			कुल	1.410	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लें में, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोद के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अन्दर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भू— अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकें।

विशेष – 'धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू— अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं।

अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-7025—भू—अर्जन—2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 नवम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:-

**1. भूमि का वर्णन**

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम—कोहटमाल प0ह0न—07, ब.न.—83 रा.नि.म.—लावाधोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा—26.038 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	71/3	0.404
2	71/4	0.454
3	71/5	0.453
4	73	0.999
5	158/1/5	0.121
6	160/1/4	0.087
7	75/1	0.436
8	75/2	0.437
9	75/3	0.236

10	75/4	0.235
11	75/5	0.235
12	75/6	0.169
13	77	1.416
14	78/1	1.744
15	164/2	0.113
16	137/9	2.023
17	78/2	1.076
18	164/3	0.113
19	137/2	0.200
20	137/3,	2.023
21	137/4	2.023
22	137/7	1.011
23	137/12	0.270
18	137/8	2.023
19	<u>137/10</u>	0.973
20	137/11	0.780
21	137/13	0.923
22	157	1.382
23	158/1/1	0.242
24	160/1/1	0.163
25	158/1/2	0.242
26	160/1/2	0.163
27	158/1/3	0.242
28	160/1/3	0.163
29	159/1	0.078
30	158/1/4	0.121

31	158/2	0.242
32	159/2	0.019
33	160/2	0.144
34	161/1	0.416
35	161/2	0.425
36	163/1	0.226
37	163/2	0.226
38	163/3	0.225
39	163/4	0.225
40	164/1	0.117
	योग :-	कुल रकबा—26.038 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः— छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स के अंतर्गत संगम—2 बांध के अंतर्गत बांध एवं स्पीलवे निर्माण हेतु ढूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं M0PPOशासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी, तहसील—सौसर, ज़िला—छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा, ज़िला—छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, ज़िला—छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश**

पत्र क्र.—13002—प्रवा.—2022

राजगढ़, दिनांक 9 नवम्बर 2022

**(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में बरखेड़ी तालाब सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम बरखेड़ी के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**—: अनुसूची :—**

**बरखेड़ी तालाब के पाल, डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम बरखेड़ी**

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.)	
				भूमि (हेक्ट.)	
1	2	3	4	5	
1	मोहनलाल पिता बापूसिंह सौधिया निवासी ग्राम बरखेड़ी उमठ भूमि स्वामी	289/3/2	0.963	0.963	
	योग	1	0.963	0.963	
2	पर्वतसिंह पिता बापूसिंह सौधिया निवासी ग्राम बरखेड़ी उमठ भूमि स्वामी	289/3/6	0.963	0.963	
	योग	1	0.963	0.963	
<b>महायोग :-</b>		<b>2</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर—जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—13004—भू—अर्जन—2022

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) वृक्ष राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पीपल्याकुमार तालाब रिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम बीजपड़ी एवं चमारी के लिए ढूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### — अनुसूची (1) :-

पीपल्याकुमार तालाब के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	बीजपड़ी	5	0.658	0.538
2	चमारी	54	5.298	4.015
	कुलसम्पूर्ण :-	59	5.956	4.553

### — अनुसूची (2) :-

पीपल्याकुमार तालाब के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम बीजपड़ी

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	रामसिंह पिता देवसिंह जाति मोग्या नि. ग्रा. भूमि राजपटा	125/1	0.015	0.015
	योग	1	0.015	0.015
2	तुलसीबाई बेवा शिवलाल, संतोष, रवि पिता शिवलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू—स्वामी	113/1	0.110	0.110
	योग	1	0.110	0.110
3	प्रेमसिंह पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमि स्वामी	67/1	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
4	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भूमि	70/1/1	0.318	0.318
	योग	1	0.318	0.318

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	अयोध्याबाई बेवा गोरखन प्रकाश, रामप्रसाद पिता गोरखन डालीबाई पुत्री गोरखन, मोहनलाल पिता दोला चम्पीबाई बेवा दोला जाति भोग्या निं० ग्राम भूमि स्वामी	112	0.150	0.030
	योग :-	1	0.150	0.030
	कुल योग :-	5	0.658	0.538
पीपल्याकुमार तालाब के ढुब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चमारी				
1	भंवरकुंवर बेवा देवीसिंह उर्फ प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	177/1 264/2	0.302 0.032	0.267 0.032
	योग	2	0.334	0.299
2	उमेदसिंह पिता भेहताब सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/1	0.353	0.353
	योग	1	0.353	0.353
3	उमेदसिंह पिता भेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	184	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
4 अ	तंवरकुंवर कमलेश कुंवर, हेमकुंवर, समता कुंवर, किंता कुंवर पिता अमरिश, प्रेमकुंवर बेवा अमृतसिंह, औंप्रकाश सिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम चमारी	185	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166
4 ब	इन्द्रभानसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत निं० ग्राम भूमि स्वामी	262	0.060	0.060
	योग	1	0.060	0.060
5	धनसिंह पिता पदमसिंह राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/1	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
6	पिंकीबाई पिता भीमसिंह, धापूकुंवर बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/2	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
7	ब्रजराजसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/3	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
8	अमरसिंह पिता हनुमंतसिंह, फूलकुंवरबाई बेवा प्रभूनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/1/2	0.003	0.003
	योग	1	0.003	0.003

स.क्र.	प्रभावित कृषक कों नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टर)
1	2	3	4	5
9	गंगासिंह पिता किशनसिंह, सेतानकुंवरबाई पति किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/2/1	0.027	0.003
	योग	1	0.027	0.003
10	गंगासिंह पिता किशनसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	250/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
11	उमरवसिंह पिता केशरसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/1	0.184	0.144
	योग	1	0.184	0.144
12	बल्लभसिंह, जालमसिंह, भगवान्नसिंह भवरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/1	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
13	दीपसिंह पिता उदेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/2	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
14	भेपेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/3	0.125	0.105
		196	0.024	0.024
	योग	2	0.149	0.129
15	रोडीबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह, मांगीलाल, कैलाशबाई पिता बापूलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	195	0.341	0.100
	योग	1	0.341	0.100
16	बीरमसिंह, रामपालसिंह, बबलीकुंवरबाई, रामजुंदर सिंह, भवरलाल, गोविन्द कुंवर बेवा भवरलाल, मानवुंवरदल, देवीसिंह पिता रूपसिंह, तरवरलाल पिता नन्दलाल, बालकुंदर धेघा नन्दलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	242	0.113	0.013
		253/2	0.096	0.096
		261/1	0.102	0.102
	योग	3	0.311	0.211
17	मेरबानसिंह, मनोहरसिंह, भगवाननसिंह पिता रघुवीरसिंह, चन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/1	0.069	0.020
		263	0.065	0.065
	योग	2	0.134	0.085
18	सोभागसिंह, गजराजसिंह पिता भगवतासिंह, गुरुजी, विष्णु कुंवर, नन्दकुंवर पुत्री भगवतासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/2	0.069	0.020
	योग	1	0.069	0.020

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टर.)
1	2	3	4	5
19	रामस्वरूप पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	240	0.089	0.045
	योग	1	0.089	0.045
20	भगवानसिंह, गोकुलसिंह, भारतसिंह, दिलीपसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	225/1	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
21	सुल्तानसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/1/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037
22	कालूसिंह, रतनसिंह, गोकुलसिंह पिता हरीसिंह, कंवरबाई बेवा हरिसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/1/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
23	विक्रमसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/2/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037
24	मांगूसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/3	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
25	सजनसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	251/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
26	बजरंगसिंह, कल्पाणसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/2 250/2 320/1 321	0.064 0.032 0.100 0.429	0.064 0.032 0.100 0.105
	योग	4	0.625	0.301
27	जगबहादुरसिंह, रघुवीरसिंह पिता शंकरसेठ जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/1 253/1/2	0.051 0.047	0.051 0.047
	योग	2	0.098	0.098
28	शिवसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/2 254/1	0.050 0.083	0.050 0.030
	योग	2	0.133	0.080

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्ट.)
1	2	3	4	5
29	सोनकुंवरबाई बेवा शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/2	0.083	0.030
	योग	1	0.083	0.030
30	औमप्रकाश मिहु पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	256	0.251	0.110
	योग	1	0.251	0.110
31	लालसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	257	0.077	0.077
	योग	1	0.077	0.077
32	केशरसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	264/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
33	रामपालसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	265	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
34	गुडडी बाई पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	253/1/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
35	शंकरसिंह, खुवानसिंह, रतनसिंह पिता मोडसिंह संपतकुंवर, प्रेमकुंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	258	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
36	शिवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/2	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
37	लक्ष्मण सिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	317	0.138	0.103
	योग	1	0.138	0.103
38	हिमातसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/1	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.057
39	विक्रमसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/2	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्ट.)
1	2	3	4	5
40	सोनाथसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/1/1/1	0.058	0.058
	योग	1	0.058	0.058
41	लालसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/2/1	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
42	गगासिंह पिता किशनसिंह, उमराव कुंवर बेवा किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/1/1	0.129	0.129
	योग	1	0.129	0.129
43	शंकरसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/2/1	0.324	0.324
	योग	1	0.324	0.324
	कुल योग :-	54	5.298	4.015
	महायोग :-	59	5.956	4.553

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण आनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 4712—क—वा.—1—भू—अर्जन—2022

हरसूद, दिनांक 22 नवम्बर 2022

### प्ररूप—“ख”

#### { नियम—5 का उपनियम (2) }

क्रमांक-०००७/अ-५९/२०२२-२३ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—आशापुर, प.ह.न.—०५, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—आशापुर, प.ह.न.—०५	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			2	0.147
			5/1/1	0.009
			5/3	0.021
			5/5	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	11/1	0.011
			11/2	0.006
			13/1	0.040
			13/2	0.004
			15/1	0.002
			15/2	0.003
			16	0.017
			23	0.001
			25	0.018
			50	0.043
			49	0.012
			32/1	0.079
			47/3	0.018
			292	0.007
			293	0.041
			294/1	0.037
			294/2	0.020
			302/4	0.006
			302/5	0.014
			303/1	0.018
303/2	0.009			
304/3	0.011			
306/2	0.012			
308/2	0.002			
314/1	0.018			
314/2	0.007			
313	0.014			
312/1	0.020			
310/1	0.016			
310/2	0.012			
310/3	0.021			
348/1	0.023			
19	0.012			
20	0.001			
				0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	69/3 68/1 68/2 68/3 63/1 63/2 60/1 60/2/1 59 250/1/1/1/1 250/1/2 249/1 248/1 247/2	0.008 0.003 0.002 0.002 0.003 0.008 0.003 0.003 0.004 0.001 0.003 0.004 0.004 0.001
योग निजी भूमि			52	0.897
खण्डवा	खालवा	ग्राम —आशापुर, प.ह.न.—05	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			3	0.003
			9	0.002
				0.005
			12	0.001
				0.001
			42	0.001
				0.004
			287	0.001
				339
				0.004
			14	0.001
योग शासकीय भूमि			07	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			59	0.920

पत्र क्र. 4761-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम— अम्बापाट, प.ह.न.—40, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम— अम्बापाट, प.ह.न.—40	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			102	0.001
			103	0.011
			93	0.003
			92	0.006
		योग शासकीय भूमि	04	0.021

पत्र क्र. 4721-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-0044/अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्ईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक— 02 से पम्प हाऊस कमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—19, भीकनगांव, जिला—खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			93	0.004
			100/2	0.009
			102/2	0.005
			102/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10	84/1	0.003
			83/5	0.007
			83/4	0.011
			83/3	0.001
			83/2	0.005
			80/2	0.011
			80/1/1	0.007
			525/1	0.001
			527/1	0.016
			525/2	0.018
			525/3	0.008
			524/2	0.012
			530/1	0.002
			530/2	0.015
			530/3	0.014
			530/4	0.015
			530/5	0.015
			530/6	0.001
			543/3	0.032
			542/1	0.001
			540/1	0.008
				0.029
			542/2	0.006
				0.008
			541	0.001
			537	0.007
			349	0.011
			309	0.021
			311/2	0.008
			341/1	0.010
			341/2	0.006
			342	0.014
			343	0.012
			339	0.006
			351/1	0.044
			350/2	0.014
350/1	0.022			
362	0.024			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम	492	0.028
		-साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10	363	0.007
			488	0.030
			482	0.006
			83/1	0.003
			486	0.010
			448	0.016
				0.006
			484	0.002
			483	0.002
			450/1	0.007
			449	0.008
			443	0.002
			452	0.042
			453	0.005
			454	0.003
				0.003
			455	0.004
			438/2/2	0.012
			438/1	0.003
			439/2	0.007
			438/2/1	0.011
			439/3	0.009
			439/1	0.008
			435	0.003
			401	0.024
			402/1	0.019
			400/4	0.015
			400/5	0.012
			400/2	0.017
	440	0.001		
	393/2/1	0.005		
	393/2/2	0.004		
	393/1/1	0.003		
	393/1/2	0.003		
	393/1/3	0.005		
	391/1	0.008		
	391/2	0.008		
	390	0.012		
योग निजी भूमि		77	0.840	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —साल्याखेड़ा, प.ह.न.—10	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			99	0.001
			101	0.001
			103	0.008
			526	0.001
			532	0.001
			539	0.002
			347	0.001
			490	0.001
			489	0.002
			485	0.001
			451	0.001
			395	0.001
				0.001
			441/1	0.017
		योग शासकीय भूमि	13	0.039
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	90	0.879

पत्र क्र. 4733-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००४८/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—नीमखेड़ा रै., प.ह.न.—०३, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—नीमखेड़ा रै., प.ह.न.—०३,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			84/1	0.037
			125/1	0.011
			73/1	0.021
			71/3	0.014
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —नीमखेड़ा रै., प.ह.न.—03,	71/6	0.008
			71/4	0.002
			71/5	0.002
			383	0.022
			373/1	0.011
			373/2	0.006
			372/1	0.018
			356/2	0.008
			356/1	0.021
			361	0.008
			360	0.022
			362	0.013
				0.005
			321/2	0.004
			320	0.007
			323	0.020
			365	0.019
			317/1/1	0.003
			314/2	0.015
			311	0.005
312/2	0.002			
योग निजी भूमि		24	0.307	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —नीमखेड़ा रै., प.ह.न.—03,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
		82	0.002	
		84/2	0.002	
		124	0.001	
		122	0.009	
		114	0.001	
		111	0.016	
		75	0.005	
		368	0.001	
		353	0.001	
		322	0.001	
		318	0.001	
		योग शासकीय भूमि	11	0.040
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	35	0.347

पत्र क्र. 4739-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक—००३४/अ—५९/२०२२—२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम —कुंदई माल, प.ह.न.—11, तहसील —खालवा, जिला —खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —कुंदई माल, प.ह.न.—11	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			229	0.001
			228	0.019
			251/2	0.004
			251/1	0.020
			254	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	200/2	0.003
			200/3	0.003
			190/2	0.005
			191/1	0.008
			176/1	0.005
			174	0.014
			117/1	0.007
			117/2	0.006
			118/3	0.003
			118/6	0.014
				0.002
			120/3	0.004
			119/2	0.005
			64/1	0.011
			64/3	0.005
			62	0.008
			478	0.013
			479	0.008
			491/1	0.007
			481/1	0.019
			490	0.021
			489	0.005
			496/2	0.013
			525/1	0.028
				0.004
			526	0.001
				0.001
			535/2	0.009
				0.013
			520	0.006
			521	0.004
			505	0.005
			421/1	0.006
			420/1	0.014
			419/2	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —कुंदई माल, प.ह.न.—11	420/2	0.005
			419/1	0.005
			418/1	0.005
			418/4	0.007
			417/2	0.001
			397/2	0.004
			397/1	0.001
			394/4	0.006
			394/5/1	0.003
			394/5/2	0.006
			394/1/1	0.003
			394/1/2	0.005
			394/3	0.012
			535/1	0.004
			536	0.010
			515	0.003
			514	0.001
			507	0.011
			413	0.001
			412/1	0.001
			412/2	0.003
			412/3	0.003
			411/3	0.003
			411/4	0.002
			408/5	0.003
			408/4	0.013
			408/3	0.011
योग निजी भूमि			<b>63</b>	<b>0.476</b>

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -कुंदई माल, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			274	0.001
			216	0.001
			200/1	0.007
			180	0.001
			172	0.011
			140	0.001
			494	0.001
			512	0.001
			422	0.001
			516	0.001
			513	0.001
			512	0.002
			407	0.001
		योग शासकीय भूमि	13	0.030
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	76	0.506

पत्र क्र. 4742-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-०००४/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—मल्हारगढ़, प.ह.न.—१८/४२, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### ॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मल्हारगढ़, प.ह.न.—१८/४२	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			295	0.001
			296/1	0.011
			304/2	0.005
			290/2	0.001
			304/3	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मल्हारगढ़, प.ह.न.—18/42	287/2	0.013
			284/2	0.005
			283	0.001
			280/6	0.003
			280/5	0.003
			280/4	0.003
			279	0.001
			268/1	0.013
			269	0.007
			256	0.007
			247/3	0.001
			248/1	0.001
			2	0.009
			27	0.002
			24	0.003
				0.008
			28/1	0.008
			35/2	0.005
				0.001
			36	0.004
			49	0.001
			48/2	0.008
			48/1	0.012
			52/2	0.010
			70/1	0.006
			69/2	0.006
			69/1	0.003
			68/2	0.001
योग निजी भूमि			31	0.168

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम --मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			305	0.001
			306	0.001
			273	0.001
			270	0.001
			246	0.001
			1	0.001
			19	0.001
			29	0.001
			45	0.001
			62	0.001
		योग शासकीय भूमि	<b>10</b>	<b>0.010</b>
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		

पत्र क्र. 4745-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००९८/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— 2 से पम्प हाऊस क्रमांक— 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—रजूर माल, प.ह.न.—०३, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—रजूर माल, प.ह.न.—०३	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			6/1	0.014
			15/2	0.009
			15/1	0.003
			14/1	0.004
			13/2	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रजूर माल, प.ह.न.—03	13/1	0.002
			12	0.009
			11	0.003
			43/1	0.002
			43/2	0.003
			44	0.004
			45	0.005
			46/2	0.004
			46/3	0.005
			46/1	0.005
			149	0.001
				0.005
			148	0.004
			55	0.002
			56	0.009
			59/1	0.004
			59/2	0.004
			58/7	0.002
			58/6	0.002
			58/4	0.002
			58/5	0.002
			67	0.011
			70	0.010
			71	0.009
			77/3	0.001
			72/2	0.002
				0.002
			77/1	0.002
				0.002
			77/2	0.006
			84/2	0.013
			103	0.003
			556/2	0.005
			104	0.003
			99	0.009
			95	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रजूर माल, प.ह.न.—03	557 561 555 554 575 638/1 639/1 639/2 640 381 382 385 405/1 384/2 405/2 404 403 397 401 399/2 464/1 464/2 467/2 467/1 478 475/1 475/2 475/3 480/1 475/4 479/4 835 836 844/2 844/3 844/4 844/5	0.009 0.001 0.005 0.023 0.015 0.001 0.011 0.004 0.003 0.004 0.008 0.001 0.006 0.003 0.002 0.006 0.001 0.002 0.007 0.005 0.007 0.001 0.005 0.007 0.002 0.006 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002 0.009 0.004 0.004 0.004 0.004
योग निजी भूमि			75	0.369

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रजूर माल, प.ह.न.—03	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			50	0.001
			120	0.002
			100	0.009
			569	0.002
			574	0.001
			573	0.002
			578	0.001
			579	0.004
			580	0.014
			581	0.015
			582	0.015
			631	0.002
			632	0.015
			633	0.017
			634	0.001
			630	0.006
			635	0.001
			636	0.009
			637	0.005
			402	0.001
			465	0.001
			468	0.001
			831	0.005
				0.026
			839	0.005
			837	0.005
		योग शासकीय भूमि	25	0.166
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	100	0.535

पत्र क्र. 4736—क—वा.—1—भू—अर्जन—2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००/७/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा खालवा मार्झक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम— जामन्या खुर्द, प.ह.नं.— 27, तहसील—खालवा, जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संमाग क्रमांक-१९, भीकनगांव, जिला— खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम— जामन्या खुर्द, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			114/2	0.008
			115/1	0.003
			114/1	0.005
			116/2/2	0.005
			118/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जामन्या खुर्द, प.ह.नं.– 27	118/2 118/3 135 134/1 134/2 127/1/1 128/1 128/3/1 128/3/2 128/4 129/1 129/2 92 95/1 95/2 95/3 97/3	0.003 0.004 0.011 0.007 0.002 0.011 0.015 0.004 0.009 0.006 0.002 0.011 0.002 0.007 0.006 0.005 0.012
योग निजी भूमि			22	0.150
खण्डवा	खालवा	ग्राम – जामन्या खुर्द, प.ह.नं.– 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109 113 117 125 96	0.001 0.005 0.008 0.001 0.001
योग शासकीय भूमि			05	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			27	0.166

पत्र क्र. 4730—क—वा.—1—भू—अर्जन—2022

## प्ररूप—“ख”

### { नियम—5 का उपनियम (2) }

क्रमांक—0058/अ—59/2022—23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक—03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—खालवा, प.ह.न.—19, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) की धारा—3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—खालवा, प.ह.न.—19	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			197/2	0.014
			197/1	0.027
			198/2	0.014
			198/3	0.013
			198/4	0.017

			प.ह.न.-१७		
			191/1	0.022	
			207	0.032	
			209/1	0.012	
			209/2	0.006	
			209/3	0.006	
				0.008	
			210/1	0.003	
				0.003	
			210/2	0.010	
				0.003	
			210/3	0.009	
			210/4	0.010	
			211/1	0.007	
			211/2	0.010	
			186/2	0.003	
			185/3	0.005	
			<b>योग निजी भूमि</b>	<b>20</b>	<b>0.274</b>
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-		
			206	0.001	
			214	0.002	
			<b>योग शासकीय भूमि</b>	<b>02</b>	<b>0.003</b>
			<b>कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)</b>	<b>22</b>	<b>0.277</b>

पत्र क्र. 4727-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००।३/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्ईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			47/1	0.024
			47/2	0.021
			62	0.036
			54	0.008
			55/1	0.049

जिला	ताडील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम –चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	56/1 56/2 56/3 57/1 57/2 57/9 57/3 57/4/2 57/6 57/7 117/2 115/6 115/2 115/7 132/1 133/1 135/2  142/2  142/3 142/5 142/4 141/1/2 141/1/3 141/2 140/4 258/1 259/1 264/1 264/3 264/4 266 267/1 268/2 139/1 139/2	0.017 0.015 0.015 0.014 0.007 0.006 0.002 0.011 0.011 0.006 0.021 0.006 0.019 0.034 0.007 0.012 0.006 0.026 0.011 0.007 0.007 0.010 0.011 0.013 0.012 0.013 0.007 0.015 0.023 0.020 0.013 0.014 0.023 0.021 0.038 0.008 0.008
योग निजी भूमि			40	0.647
खण्डवा	खालवा	ग्राम –चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			116	0.002
			136	0.002
			137	0.016
			134	0.002
योग शासकीय भूमि			04	0.022
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			44	0.669

पत्र क्र. 4724-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप—“ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००४७/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 व 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—जूनापानी, प.ह.न.—17, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-				
			22	0.003
			27	0.015
			240	0.006
			250	0.008
			249	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17	251	0.004
			252	0.003
			253	0.005
			598	0.006
			606	0.007
			597	0.007
			607	0.003
			605	0.005
			618	0.008
			616	0.005
			615	0.003
			631	0.001
			632	0.008
			549	0.006
			550	0.003
				0.002
			548	0.004
			531	0.003
			532	0.003
			533	0.003
			535	0.005
			519	0.003
			518	0.006
			517	0.003
			511/7	0.002
योग निजी भूमि			29	0.142

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अनित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -जूनापानी, प.ह.न.-17	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			23	0.001
			24	0.001
			26	0.001
			241	0.001
			620	0.001
			530	0.001
			534	0.009
			581	0.001
		योग शासकीय भूमि	08	0.016
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	37	0.158

पत्र क्र. 4709-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप—“ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००३०/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम— अशरफ नगर, प.ह.नं.— 08, तहसील—खालवा, जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला— खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम— अशरफ नगर, प.ह.नं.— 08	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			3/1	0.003
			3/2	0.023
			3/3	0.016
			3/4	0.007
			5	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – अशारफ नगर, प.ह.नं.– 08	144	0.002
			146	0.010
			148/1	0.002
			149/5	
			148/3	0.004
			149/1	
			148/4	0.005
			149/2	
			148/5	0.002
			149/3	
			150/2	0.008
			151/2	0.003
			152/2	0.002
			154/2	0.018
			154/1	0.009
			154/3	0.008
			109	0.001
			90	0.030
			88	0.021
			258/3	0.004
				0.016
			261/1	0.014
			125/7	0.009
			125/1	0.005
			125/3	0.005
			125/4	0.004
			211	0.008
			210/1	0.010
			213/1/2/1	0.007
			213/1/2	0.006
			213/1/1	0.001
			213/3	0.001
			215/3	0.009
			215/4	0.005
			225/6	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खण्डवा	खालवा	ग्राम – अशरफ नगर, प.ह.नं.– 08	225/5	0.010		
			225/4	0.010		
			225/3	0.006		
			225/2	0.006		
			225/1	0.002		
			227/1	0.006		
योग निजी भूमि			45	0.340		
खण्डवा	खालवा	ग्राम – अशरफ नगर, प.ह.नं.– 08	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-			
			4	0.001		
			114	0.002		
			145	0.001		
			113	0.006		
			112	0.004		
			153	0.001		
			257	0.001		
			260	0.001		
			128	0.014		
			208	0.001		
			299	0.001		
योग शासकीय भूमि			11	0.033		
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			56	0.373		

पत्र क्र. 4706-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**कमांक-००४७/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक— 02 से पम्प हाऊस कमांक— 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक— 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—मीरपुर, प.ह.न.—०८, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—मीरपुर, प.ह.न.—०८	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			30/1	0.003 0.029
			29/1	0.003 0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी इल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली मूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मीरपुर, प.ह.न.—08	29/2	0.002
			29/2	0.011
			29/3	0.003
			29/3	0.012
			29/4	0.005
			29/4	0.009
			29/5	0.001
			29/5	0.005
			28/3	0.003
			28/2	0.003
			28/1	0.004
			27/1	0.004
			27/2	0.005
			7	0.004
			8/2	0.008
			10/4	0.004
			10/2	0.003
			1/1	0.007
			1/2	0.012
			1/3	0.012
			1/4	0.012
			48/3	0.003
			48/2	0.016
			48/1	0.013
			48/4	0.014
			45	0.032
			141	0.006
				0.007
			142	0.004
	0.005			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	चपयोग के अधिकार के लिये अनित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मीरपुर, प.ह.न.—08	143/1/1	0.003
				0.004
			144/2/1	0.001
				0.008
			143/1/2	0.007
			144/2/2	0.020
			144/1/2	0.004
			152	0.013
			155/2	0.023
			155/1	0.013
			156/2	0.005
			156/5	0.015
			156/3	0.009
			156/4	0.009
			144/3	0.005
			144/4	0.002
			146/5	0.001
			146/6	0.002
			147	0.007
			174	0.001
			173	0.019
			172/1	0.011
			170/1	0.004
			172/2	0.001
			170/2	0.012
			165	0.016
			164	0.003
			166	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मीरपुर, प.ह.न.—08	163/1 163/2 163/3 298/1 298/6	0.004 0.006 0.014 0.012 0.003
योग निजी भूमि			<b>57</b>	<b>0.538</b>
खण्डवा	खालवा	ग्राम —मीरपुर, प.ह.न.—08	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			9 31 38 153 145 148 157	0.001 0.005 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001
योग शासकीय भूमि			<b>07</b>	<b>0.016</b>
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			<b>64</b>	<b>0.554</b>

पत्र क्र. 4718-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक-००५३/अ-५९/२०२२-२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्योगस्थि विभाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—ढकोची, प.ह.न.—४०, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् २०१३) की धारा— ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	खालवा	ग्राम—ढकोची, प.ह.न.—४०	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			19/4	0.004
			20/4	0.009
			37	0.017
				0.009
			34	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —ढकोची, प.ह.न.—40	33/3	0.010
			264/1	0.010
			264/2	0.002
			264/4	0.004
			264/5	0.003
			264/6	0.003
			264/8	0.003
			264/9	0.002
			257	0.008
			283/2	0.017
			283/4	0.001
			322	0.019
			331	0.008
			330	0.011
			336/1	0.008
			337/6	0.009
			337/8	0.002
			338/6	0.004
			338/5	0.006
			342/1	0.023
			360/1	0.001
			365/1	0.012
			367/1	0.003
			61	0.001
			62/4	0.008
योग निजी भूमि		29	0.224	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -ढकोची, प.ह.न.-40	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			6	0.003
			258	0.001
			281	0.001
			359	0.001
			361	0.001
			310	0.001
			73	0.001
योग शासकीय भूमि			07	0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			36	0.233

पत्र क्र. 4715—क—वा.—१—भू—अर्जन—2022

## प्ररूप—“ख”

### { नियम—5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक—०३।/अ—५९/२०२२—२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्झक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक—०२ से पम्प हाऊस क्रमांक—०३ तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक—०२ तथा आर.एम.—२ में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—१७, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खण्डवा (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—५ सन् 2013) की धारा—३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा—३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—				
खण्डवा	खालवा	ग्राम—अहमद नगर प.ह.न.—१७	40	0.008
			41	0.041
			42	0.007
			44	0.001
			52	0.009

जिला	ठाड़कील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खत्तरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	45	0.020		
			265	0.001		
				0.007		
			53	0.041		
			262/2	0.018		
			201/4	0.083		
			56/3	0.032		
			201/1	0.002		
			203/1/1	0.014		
			203/1/2	0.014		
			203/2	0.031		
				0.012		
			204	0.046		
			253	0.002		
				0.001		
			250/1	0.007		
				0.040		
			251	0.018		
				0.019		
			245/1	0.033		
			245/2	0.015		
			248	0.020		
		योग निजी भूमि	22	0.542		
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-			
			272	0.001		
				0.003		
			43	0.001		
				0.026		
			51	0.001		
				0.003		
			64	0.047		
			54	0.004		
				0.007		
			55	0.002		
			202	0.001		
			205	0.001		
				0.002		
खण्डवा	खालवा	ग्राम —अहमद नगर प.ह.न.—17	208	0.003		
			252	0.001		
				0.003		
			206	0.001		
				0.005		
			247	0.011		
योग शासकीय भूमि			12	0.154		
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			34	0.696		

पत्र क्र. 4748-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक ००३५/अ-५९/२०२२-२३ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक— ०२ से पम्प हाऊस क्रमांक— ०३ तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— ०२ में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—रत्नपुर अन्धारिया, प.ह.न.—११, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— ५ सन् २०१३) की धारा— ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
<b>खण्डवा</b>		उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-		
		ग्राम—रत्नपुर अन्धारिया, प.ह.न.—११	301/1	0.015
			299/3	0.004
			299/2	0.004
			299/1	0.004
			188	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रत्नपुर अन्धारिया, प.ह.न.—11	189/1	0.005
			192/1	0.005
			192/2	0.013
			191/3	0.011
			194/1	0.007
			196/1	0.001
			286	0.011
			285/1	0.003
			308/1	0.007
			320/3/1	0.002
			320/3/2	0.003
			320/2	0.006
			322/2	0.007
			322/3	0.001
			322/4	0.015
			323/4	0.005
			323/1	0.004
			323/2	0.006
			329/2	0.003
			378/1	0.005
			378/2	0.017
			369/1	0.010
			369/2	0.004
			369/3	0.002
			368/2	0.004
			368/1	0.011
			367/1	0.010
			367/3	0.003
			355	0.001
			357/1	0.003
			357/2	0.007
			357/3	0.002
			358/2	0.004
			350/1	0.007
			योग निजी भूमि	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
<b>खण्डवा</b>				<b>उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-</b>
		ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	300	0.001
			193	0.001
			198	0.001
			197	0.001
			195	0.001
			293	0.001
			311	0.001
			334	0.001
			366	0.001
			354	0.001
			363	0.001
			351	0.001
<b>योग शासकीय भूमि</b>			<b>12</b>	<b>0.012</b>
<b>कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)</b>			<b>50</b>	<b>0.266</b>

पत्र क्र. 4751—क—वा.—१—भू—अर्जन—2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक—००७९/अ—५९/२०२२—२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा मार्झक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—गुलरढाना, प.ह.न.—४३, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
१	२	३	४	५
खण्डवा	खालवा	ग्राम—गुलरढाना, प.ह.न.—४३	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :—	
			362/2/1	0.013
			362/2/2	0.002
			362/1	0.014
			361/1	0.006
			360	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —गुलरढाना, प.ह.न.—43	359/3 359/4 359/5 359/2 374/4 374/3 375 382/4 381/2 381/1 386/1 383/4 385/1 385/2 385/3 377 355/2 355/3	0.009 0.006 0.002 0.014 0.020 0.019 0.001 0.010 0.017 0.013 0.010 0.007 0.002 0.012 0.017 0.006 0.002 0.006 0.008
योग निजी भूमि			23	0.233
खण्डवा	खालवा	ग्राम —गुलरढाना, प.ह.न.—43	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			384	0.003
			357	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.004
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			25	0.237

पत्र क्र. 4754—क—वा.—१—भू—अर्जन—2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक—००६।/अ—५९/२०२२—२३** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— 2 से पम्प हाऊस क्रमांक— 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक— 02 व 04 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—खारकलां, प.ह.न.—२४, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—१९, भीकनगांव, जिला—खरगोन (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

#### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—२४	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			726	0.008
			725/5	0.001
			347	0.010
			375	0.007

निला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—24		0.001
			377/2/1	0.006
				0.004
			378	0.005
				0.006
			380	0.006
				0.003
			388/2	0.020
			395	0.012
			394	0.017
			393	0.001
			403/1	0.005
			403/3	0.007
			403/2	0.004
			403/4	0.003
			405/2	0.006
			405/1	0.010
			290/3	0.009
			408/1	0.006
			377/2/2	0.003
			379	0.003
			382	0.009
			361	0.002
			439/3	0.006
			440	0.011
			448	0.001
			447/4	0.006
			447/1	0.005
		योग निजी भूमि	28	0.203

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—24	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			727	0.001
			350	0.001
			349	0.001
			369	0.001
			370	0.006
			367	0.001
			383	0.001
			326	0.001
			404	0.001
			289	0.001
			383	0.001
		योग शासकीय भूमि	11	0.016
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	39	0.219

पत्र क्र. 4757-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माइक्रो उद्योग सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से पम्प हाऊस क्रमांक— 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम—जामधड़, प.ह.न.—43, तहसील—खालवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला—खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, डरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम—जामधड़, प.ह.न.—43,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			23/1	0.019
			23/2	0.018
			23/3	0.018
			87/3	0.022
			86	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	85	0.008
			101/2/2	0.024
			101/3/1	0.009
			101/3/2	0.007
				0.010
			109/1	0.003
				0.005
			110	0.018
			114	0.018
			189	0.008
			190/2	0.022
			188/2	0.012
			190/1	0.003
			188/1	0.009
				0.002
			169	0.006
			173	0.007
			172	0.005
			176	0.003
			177	0.002
			162	0.004
			161	0.009
			160/1	0.008
			391	0.012
			160/2	0.002
			420	0.005
			419/2	0.003
			419/1	0.003
			418	0.007
			417	0.009
			416	0.007
			423/1	0.006
			423/2	0.004
			415/2	0.009
			415/4	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अनिवार्य की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	431/1	0.018
			493/1/1	0.002
			493/1/2	0.003
			493/2	0.014
			494	0.001
			497	0.004
				0.014
			496	0.003
				0.008
			486	0.018
			480	0.007
			469	0.013
			465	0.006
			463	0.008
			487/2	0.004
			487/1	0.003
			489	0.004
			109/2	0.004
			108	0.005
			107	0.004
			75	0.003
			73	0.004
			71	0.009
			212/1	0.012
			216/4	0.001
			216/5	0.008
			216/1	0.006
			214/1	0.016
			214/4	0.005
			386/1/1	0.007
			384/1	0.003
			383	0.017
			384/2	0.022
			382/1	0.003
			385/3	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	385/4 527 525 524 597 614/1 614/2 614/3	0.010 0.003 0.006 0.027 0.002 0.017 0.012 0.004
		योग निजी भूमि	78	0.720
खण्डवा	खालवा	ग्राम —जामधड़, प.ह.न.—43	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1 201 183 204 205 163 165 392 437 468 686 70 69 64 63 58 57 213 526 532 533 615	0.004 0.012 0.014 0.025 0.010 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.016 0.001 0.004 0.016 0.005 0.002
		योग शासकीय भूमि	22	0.131
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	100	0.851

पत्र क्र. 4760-क-वा.-1-भू-अर्जन-2022

## प्ररूप— “ख”

### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

**क्रमांक— /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक— 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम — खेरी, प.ह.नं.— 27, तहसील —खालवा, जिला — खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—19, भीकनगांव, जिला— खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — खेरी, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			51/5	0.003
			51/2	0.019
			51/1	0.011
			44	0.009
			45/3	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	45/1	0.009
			40	0.017
			18	0.016
				0.002
			179/1	0.009
			179/2	0.007
				0.003
			179/3	0.007
				0.006
			180/1	0.002
			180/3	0.002
			185/2/1	0.003
			185/2/2	0.002
			184	0.002
			215/2	0.003
			218	0.002
			219/2	0.011
			220/1	0.004
			230	0.005
			229/1	0.004
			229/2	0.005
			228	0.001
			245	0.005
			244	0.002
			246	0.006
				0.001
			251	0.009
			254/1	0.001
			127/1/1	0.001
			126/1	0.003
126/2	0.002			
126/3	0.004			
21	0.001			
6	0.005			
3	0.015			

ज़िला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – खेरी, प.ह.नं.– 27	69/1 72/1 72/3 78/1 88 97/1 97/2 98/2 98/3 101/1 101/2 103/2 110/1 113/1 113/2	0.002 0.001 0.006 0.004 0.009 0.006 0.002 0.006 0.005 0.004 0.002 0.006 0.010 0.007 0.003
योग निजी भूमि			<b>51</b>	<b>0.310</b>
खण्डवा	खालवा	ग्राम – खेरी, प.ह.नं.– 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			50	0.002
			42	0.005 0.001
			41	0.007
			39	0.028 0.016
			30	0.002
			31	0.004
			32	0.001
			19	0.017 0.006
			13	0.014
			175	0.002
			176	0.001
			216	0.001
			250	0.001
			253	0.004
			48	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खेरी, प.ह.नं.- 27	49	0.001		
			124	0.001		
			9	0.001		
			8/1	0.006		
			1	0.001		
			181	0.001		
			60	0.022		
			63	0.001		
			74	0.001		
			91	0.001		
योग शासकीय भूमि			<b>25</b>	<b>0.163</b>		
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			<b>76</b>	<b>0.473</b>		

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 01-03-2021-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला बैतूल के वर्तमान उपखण्ड मुलताई की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन उपखण्ड आमला सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव लिखित में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

### अनुसूची

अनु-	विद्यमान	प्रस्तावित परिवर्तन	प्रस्तावित परिवर्तनों	परिवर्तनों के पश्चात्	
क्र.	संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	(विद्यमान संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	के पश्चात् संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील का नाम और उसका मुख्यालय	संभाग/जिले/उप-खंड/तहसील की सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपखण्ड मुलताई (मुख्यालय मुलताई)	तहसील आमला के पटवारी हल्का नंबर 01 से 70 तक अपवर्जित होंगे।	उपखण्ड मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 01 से 69 एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का नंबर 70 से 133 कुल 133 प.ह. समाविष्ट होंगे।	उत्तर में—जिला छिन्दवाड़ा की सीमा। पूर्व में—महाराष्ट्र राज्य की सीमा। दक्षिण में—महाराष्ट्र राज्य की सीमा। पश्चिम में—तहसील आमला की सीमा।	
2.		उपखण्ड आमला (मुख्यालय आमला)	उपखण्ड आमला में तहसील आमला के पटवारी हल्का नंबर 01 से 70 तक समाविष्ट होंगे।	उत्तर में—तहसील घोड़ाडोंगरी की सीमा। पूर्व में—तहसील जुनारदेव जिला छिन्दवाड़ा की सीमा। दक्षिण में—तहसील मुलताई की सीमा। पश्चिम में—तहसील बैतूल की सीमा।	
3.				3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।	

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2022

## शुद्धि-पत्र

क्र. एफ. 2-6-2021-सात-शा-7.—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक 12 अगस्त, 2022 भाग 4(ग), पृष्ठ क्रमांक 603, लगायत 609 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व मण्डल की एकल सदस्यीय तथा खंडपीठ की अधिकारिता) नियम, 2021 के हिन्दी अनुवाद में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित शब्द के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द पढ़ा जाए :—

## सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र का पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है	शुद्ध शब्द जो कि पढ़ा जाए
(1)	(2)	(3)
खंड पाठ	पृष्ठ 603 पंक्ति 10	खंड पीठ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुमन रायकवार, अवर सचिव,

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी,  
अनुभाग-बागली, जिला-देवास, मध्यप्रदेश

बागली, दिनांक 24 नवम्बर 2022

प्ररूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3360-रीडर-1-2022-क्र. 0030-अ-82-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बी. पी. टी. 1 के पम्प हाऊस क्रमांक 3 तक बिछाई जाने वाली जी. एम. 1 भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिसाली, प. ह. नं. 62, तहसील उदयनगर, जिला देवास, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
देवास	उदयनगर	ग्राम-बिसाली प. ह. नं.-62	80/2	0.079
			कुल योग	01
				0.079

एस. आर. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),